उत्तराखण्ड सरकार

वित्त मंत्री

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश

का

वित्तीय वर्ष 2016—17 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2016–17 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रही हूँ।

हे उत्तर के श्वेतकेश चिर तरूण तपस्वी
पृथ्वी के निर्मलतम धन
हे वसुधा की स्वर्ण भूमि
हे गंगा की निर्मल लहरों के पिता हिमालय
मेरी वाणी को प्रशस्तता और सुचिता दो।

मुझे इस राज्य की तीसरी निर्वाचित सरकार का लगातार पाँचवा बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे राज्य की स्थापना को पन्द्रह वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मुझे इस बात पर अत्यन्त गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सकारात्मक, सत्त्त विकास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। गत वर्षों में मेरे मन में यह प्रश्न बार–बार उठता था कि जो स्वप्न प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ, सेवा भावना से परिपूर्ण योजना पुरूष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के कल्याण के लिये देखे हैं उनको हमारी सरकार के बजट पूर्ण कर भी रहे हैं या नहीं ? जो अपेक्षाएं, आशाएं प्रदेशवासियों को हमारी सरकार से है, कहीं वह उनसे बहुत दूर तो नहीं ? मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि हमारे समस्त बजट अपनी व्यापकता, समावेशी व कल्याणकारी स्वरूप के कारण सभी वर्गों में सराहे गये हैं। **गरीब, गाँव, गुरूजी, गन्ना–गुड़, गाय–गौशाला–गौचर, गंगा,**

गाड–गधेरा, गुजर–बसर, गहत–गलगल, गदेंणी, गेठी और गदुवा–गडेरी के चारों तरफ विकास की सम्भावनाओं पर केन्द्रित इस सफलता ने हमारे उत्तरदायित्व बोध को और सुदृढ़ करते हुए हमारे आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि की है।

2016–17 का यह बजट हमारे पूर्व बजटों की ही भाँति लोक कल्याण की भावना का प्रतिबिम्ब है। सामाजिक व आर्थिक विकास इनकी पहचान है। पूर्व के अनुभव इसकी आधारशिला हैं तथा यह स्वर्णिम भविष्य की असीम सम्भावनाओं से परिपूर्ण है।

यह हमारे राज्य के कर्मठ निवासियों के दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है कि आज उत्तराखण्ड राज्य वर्तमान में तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। हिमालयी राज्यों में हम मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हुए हैं। प्रतिव्यक्ति आय में हम राष्ट्रीय स्तर से अधिक हैं। सरकार गाँवो के भी विकास का मॉडल बनाने पर कार्य कर रही है। तेजी से हो रहे पलायन को रोकने तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नेपा, खुरपिया, पराग, सितारगंज में **"मेक इन इण्डिया"** के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना की जायेगी। ऐसे युवक–युवती जो शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं, को निसबट के माध्यम से शार्टटर्म प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु सक्षम बनाया जायेगा। ऐसे सभी बच्चों और युवाओं को जिनमें प्रत्येक स्तर के ड्राप आउट सम्मिलित हैं, को प्रशिक्षित करने के लिए राजीव गाँधी अभिनव प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की जा रही है। पिछले पाँच वर्षों में 2500 से अधिक उद्योग राज्य में स्थापित हुए हैं

तथा उद्योगों की वृद्धि दर जो 1993–2000 में 1.9 प्रतिशत थी बढ़कर 18.8 प्रतिशत हो गयी है।

उठो कि वक्त आ गया, उठो वतन के वास्ते
बुला रही है मंजिलें पुकारते हैं रास्ते
नई तरंग चाहिए, नया जश्न चाहिए
फिर इंकलाबे–वक्त को तुम्हारा वक्त चाहिये।

दैवीय आपदा से उपजी चुनौतियों ने हमें पर्वतराज हिमालय की भाँति मजबूत होकर बाधाओं से जूझने का साहस तो दिया ही है, साथ ही भविष्य हेतु भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसी आपदाओं से निपटने की शिक्षा भी प्रदान की है। श्री केदारनाथ क्षेत्र के पुनर्निर्माण से 2013 की आपदा के घाव लगभग मिट चुके हैं। हमारे चारों धाम श्रद्धालुओं के स्वागत के लिये अच्छी स्थिति में हैं। इस बार दस लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों पवित्र धामों के दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। इस वर्ष हम दोगुना यात्रियों के आने की आशा कर रहे हैं। सुरक्षित व सुगम उत्तराखण्ड का संदेश पूरे विश्व में प्रसारित हुआ है। इन यात्रा मार्गों का निर्माण और सुविधायुक्त व प्रत्येक मौसम में यातायात योग्य बनाने के लिये कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं,
जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता,
हौंसलों से उड़ान होती है।

यह हमारे राज्य का परम सौभाग्य रहा है कि इस वर्ष हमें अर्द्धकुम्भ के आयोजन का अवसर मिला जिसे हमने अपने संसाधनों से सम्पादित भी किया है। यह अभूतपूर्व आयोजन सम्पूर्ण विश्व में हमारे राष्ट्र की सामाजिक समरसता व धार्मिक सहिष्णुता को प्रमाणित करता है, जो हमारी एकता व अखण्डता की नींव है। हम इस बार किसी भी पूर्ण कुम्भ से दोगुना अधिक संख्या में स्थायी प्रकृति के कार्य करवा पाए हैं। इस बार हरिद्वार का अर्द्धकुम्भ हरिद्वार की छटा को अद्‌भुत रूप से द्विगुणित कर रहा है।

जन सहभागिता के साथ प्रदेश का विकास एवं अपनी पारंपरिक अवधारणाओं, मान्यताओं तथा विश्वास से जन सामान्य को जोड़े रखने के लिये राज्य सरकार ने "हिटो पहाड़, हिटो गाँव" की अवधारणा के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इसमें सर्वप्रथम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, अवस्थापना के अन्तर को कम किये जाने का प्रयास किया गया है। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "मेरा गाँव मेरी सड़क" नाम की नई योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत समस्त गाँवों को शीघ्रताशीघ्र नई सड़कों से जोड़ा जायेगा। इस हेतु नाबार्ड से भी फन्डिंग की जा रही है। इन सड़कों के निर्माण से जहाँ एक ओर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी एवं ग्रामीण उत्पादों की पहुँच मण्डियों तक सुलभ होगी व ग्रामीणों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि से सम्बन्धित योजनाओं को भी बल मिलेगा।

कृषि :

विभाग **''सुसस्याः कृषीस्कृधि''** **(अच्छी स्वास्थ्य बर्धक खेती)** की भावना के अनुरूप कार्य कर रहा है। प्रदेश का मैदानी भाग जो कुल कृषि क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत है, में उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। वहीं प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भूमि 56 प्रतिशत है, वहाँ पर उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो रही है। पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों की रूचि खेती के प्रति कम होती जा रही है। इसके दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में **मडुवा, रामदाना एवं उगल/फाफर के उत्पादन पर प्रोत्साहन धनराशि** की योजना गतिमान है। स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के प्रोत्साहन हेतु मडुवा, रामदाना, उगल/फाफर, लालधान, गहत, भट्ट आदि के प्रोत्साहन हेतु कृषकों को **प्रमाणित बीजों** के लिये सब्सिडी उपलब्ध करायी जायेगी। **प्रदेश में प्रथम बार सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित स्थानीय एवं परम्परागत फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है** जिससे किसानों को फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। सामूहिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित करने हेतु **माधो सिंह भण्ड़ारी कृषि सहभागिता** योजना प्रारम्भ की जा रही है। सरकार थोक बाजारों के लिए **सॉझे–ई बाजार** की व्यवस्था हेतु एकीकृत कृषि विपणन **ई–प्लेट फार्म** स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में कार्यरत है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में उपज की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि, कृषि में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग एवं सरकार की योजनाओं के प्रचार–प्रसार आदि हेतु **सरूल में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर एग्रीकल्चर एण्ड फॉर्मर लाईवलीवुड**

इम्प्रूवमेन्ट की स्थापना की जा रही है। विगत वर्षों से देश में सूखे की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। राज्य के किसानों की इस आपदा से सुरक्षा हेतु एसडीएमए/एसडीआरएफ में समुचित धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। कृषकों को फसल बीमा योजना हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि बीमा राशि के किसान अंश के 50 प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार अतिरिक्त अंश के रूप में करेगी।

जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाने की शिकायतें दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में यह समस्या अधिक है। इसके लिये सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सुरक्षा वॉल एवं घेरबाड़ की परियोजना गतिमान है।

"सरकार किसान के द्वार" अवधारणा को साकार करने हेतु प्रत्येक वर्ष रबी एवं खरीफ फसलों की बुआई के समय कृषक महोत्सव आयोजित किये जा रहे हैं ताकि कृषकों को उनके निकट केन्द्रों पर कृषि एवं अन्य विभागों से संबंधित तकनीकी जानकारियों तथा सरकार द्वारा देय सुविधाओं की जानकारी प्राप्त हो सकें। रबी 2015 से यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि कृषक महोत्सव में उरेडा, समाज कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी प्रतिभाग करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कृषि विभाग हेतु ₹ 651.39 करोड़ का प्रावधान है।

औद्यानिकी :

राज्य में फल भूमि एवं सब्जियों के अन्तर्गत कुल 302.70 हजार है0 क्षेत्र आच्छादित है जो कृषि योग्य भूमि का 38.70 प्रतिशत है। राज्य में सेब, नाशपाती, आडू, खुमानी, अखरोट, बादाम, लीची, आम एवं नीबू प्रजाति तथा विभिन्न शाकभाजी आलू, मसाले, सुगन्ध पौध, मशरूम तथा मधु, रेशम उत्पादन आदि की विभिन्न योजनायें गतिमान हैं। विभाग द्वारा **रेशम बीजागार संचालन** की योजना, **कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य** की योजना प्रस्तावित की जा रही है। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने हेतु एक हजार किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिनको सब्सिडी की दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जायेगा। **राज्य में जैविक बेमौसमी सब्जी उत्पादन का मिशन लांच किया जायेगा। प्याज व अदरक के 100 कलस्टर विकसित किये जाएंगे। जड़ी–बूटी की खेती को प्रोत्साहित किये जाने हेतु इस वर्ष 20 गाँवों में जड़ी–बूटियाँ रोपित की जाएंगी।**

प्रदेश के बागवानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रथम बार माल्टा एवं पहाड़ी नीबू का समर्थन मूल्य निश्चित करते हुए उपार्जन किया गया है।

जनपद, पिथारौगढ़, चमोली व रूद्रप्रयाग के उच्च शिखरीय क्षेत्रों में औषधीय पादपों के संकुल आधारित आदि प्रजातियों का संकुल आधारित कृषिकरण किया जा रहा है। इसके लिये 6 संकुल चयनित किये गये हैं, जिसमें उक्त प्रजातियों का 65 है0 क्षेत्रफल में कृषिकरण किया जा चुका है। जनपद–बागेश्वर के कपकोट एवं

जनपद–टिहरी के मुखेम में दो उपकेन्द्रों की स्थापना की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की घोषणाओं के क्रम में **5 क्षेत्रीय उपकेन्द्र कपकोट (बागेश्वर), मुखेम (टिहरी गढवाल), उत्तरकाशी, डीडीहाट (पिथौरागढ़) एवं दूनागिरी, अल्मोड़ा** में खोले जायेंगे। प्रदेश में वर्ष 2015–16 में **224 मी0टन उच्च गुणवत्तायुक्त शहतूती रेशम कोये का रिकार्ड उत्पादन 6000 ग्रामीण परिवारों द्वारा किया गया।** रेशम उत्पादक **ग्रामीणों में महिला कृषकों का प्रतिशत 70 रहा।** वन आधारित ग्रामों में कृषकों की आर्थिकी सुधार के लिए **साल एवं अर्जुन आधारित ट्रापिकल टसर का उत्पादन प्रदेश में सफलतापूर्वक प्रारम्भ किया गया।** कृषकों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये कोया सुखाने के लिए दो कन्वेयर टाइप ड्रायरों का आयात किया गया एवं कृषकों को रेशम का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रति किलो कोये पर ₹ 20.00 की प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करायी गयी है। **प्रदेश के बागेश्वर जनपद में बहुमूल्य मूंगा रेशम का उत्पादन भी प्रारम्भ किया गया है** जिससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 26 नए कलस्टर विकसित करते हुए 900 हैक्टेयर भूमि पर कृषिकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में तीन हजार कृषकों का पंजीकरण प्रस्तावित है। अब तक कुल पच्चीस हजार कृषकों का पंजीकरण किया जा चुका है। जड़ी–बूटी की गुणवत्ता युक्त बीज पौध उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश भर में दस नवीन पौधशालाओं की स्थापना की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़, चमोली व रूद्रप्रयाग के उच्च शिखरीय क्षेत्रों में औषधीय पादपों के छः संकुल विकसित किये जाएंगे जिसमें रुपया एक करोड़ की लागत से चार हैक्टेयर भूमि पर कृषिकरण किया जायेगा।

राज्य में पैदा होने वाले तेजपात के औषधीय गुणों के कारण इसे भौगोलिक उपदर्शन में पंजीकरण किया जायेगा जिससे तेज पात के उत्पाद की गुणवत्तानुसार मूल्य में वृद्धि हो सकेगी और कृषकों को लाभ होगा। **वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग हेतु छः प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है।**

उत्तराखण्ड में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा चाय का कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण तथा नर्सरी उत्पादन व प्रचार–प्रसार के कार्यक्रम अपनायें जाते हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित **प्रतिवर्ष 6.00 लाख मानव दिवस रोजगार** सृजित किये जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा चाय बागान चम्पावत, नौटी, घोड़ाखाल व हरिनगरी चाय बागानों के अन्तर्गत स्वयं की चाय कारखाने स्थापित कर **'आर्थोडोक्स ब्लेक टी'** एवं **'ग्रीन टी'** तैयार कर बिकी की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में औद्यानिक विभाग हेतु ₹ 273.93 करोड़ का प्राविधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग :

गन्ना किसानों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सप्लाई पर्चियों का निर्गमन, गन्ना मूल्य आदि का भुगतान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पैराई सत्र 2014–15 के लिए मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने का भुगतान किसानों को किया गया है। गन्ना परता को बढ़ाये जाने हेतु **बीज बदलाव कार्यक्रम** संचालित किये जा रहे हैं। इसका लाभ चीनी मिलों की उच्च चीनी परता और अधिक गन्ना उत्पादकता के रूप में सामने आया है। इस कार्यक्रम को और तेजी से चलाने के निर्देश दिये गये हैं। गुड़ निर्माण को कुटीर उद्योग व व्यापार के रूप में स्थापित करने हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है, इसके लिए एक कार्य दल गठित किया जा रहा है। सरकार **जैविक गुड़ उत्पादन को बढ़ावा दे रही है**। जैविक गुड उत्पादन एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु भी सरकार द्वारा विशेष्र कार्य योजना बनायी जा रही है। विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों हेतु नागरिक चार्टर लागू किया गया है। मुख्यालय स्तर पर सभी कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किये जा रहे हैं। समस्त चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य गतिमान है। इसे और व्यापक स्तर पर कार्यान्वित किया ज़ायेगा। चीनी मिलों के मिल गेट पर कम्प्यूटर तौल कांटे स्थापित हैं। **सरकार बगास से चलने वाले पॉवर प्लान्ट, एफल्यूएंट ट्रीटमैन्ट प्लांट स्थापित** करने की दिशा में कार्य कर रही है। चीनी मिलों को **डिस्टलरी लाइसेंस** भी दिये जा रहे हैं। गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने व उन्हें आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी।

इस हेतु इस वर्ष 50 प्रशिक्षणशालाएं आयोजित की जायेंगी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में गन्ना विकास एवं चीनी विभाग हेतु ₹ 154.65 करोड़ का प्रावधान है।

पशुपालन डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

विभाग द्वारा अभिनव पहल के रूप में पशुपालकों के आजीविका संबर्द्धन हेतु **अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी** विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत 200 इकाईयों की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है। वर्ष 2013–14 में जनपद रूद्रप्रयाग के केदारनाथ में आयी दैवीय आपदा में विधवा हुई महिलाओं को भरण पोषण हेतु **अच्छी नस्ल की एक गाय** उपलब्ध कराये जाने की नयी योजना स्वीकृत की गयी है। राज्य में पशु सम्पदा के स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 01 नया पशुचिकित्सालय एवं 10 नये पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना की गयी है। राज्य में गाय एवं भैंसों की नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदूर ग्रामीण अंचलों तक कृत्रिम गर्भाधान कार्य को विस्तारित किया गया है। **चन्द्रनगर, जिला–रूद्रप्रयाग में पशु सेवा केन्द्र की स्थापना** की गई है। पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में एक **भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला** स्थापित की गई है, जिसमें इस तकनीक द्वारा 153 नवजात उच्च नस्ल की संतति उत्पन्न की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत आपदाग्रस्त जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग) हेतु 03 मोबाइल पशुचिकित्सा वाहनों का क्रय किया गया है, जिनके द्वारा पशुपालकों के द्वार पर उन्हें आवश्यक विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जनपद–पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली एवं टिहरी गढ़वाल हेतु भेड़–बकरी पालकों के प्रवर्जन मार्गों पर पशुचिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु 05 सचल पशुचिकित्सा वाहन क्रय किये गये हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चम्पावत, देहरादून तथा हरिद्वार में गम्भीर रूप से बीमार व दुर्घटनाग्रस्त पशुओं को अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे मशीन के माध्यम से परीक्षणोपरान्त उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नरियाल गांव व चम्पावत चौनलिया अल्मोड़ा में पशु महाविद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है। नरियाल गांव पशु फार्म को विकसित किया जा रहा है।

गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति की 1099 महिला सदस्यों को दुधारू गाय क्रय हेतु राजसहायता तथा बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति के लगभग 49 हजार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त **चार रूपये प्रति लीटर** की दर से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी गयी, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उपार्जन में लगभग **पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि** हुई है। पशुपालकों को **निःशुल्क चारा बीज** उपलब्ध कराने हेतु **फीडर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन योजना** का क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र किया जायेगा। दुग्ध संघ लालकुआँ (नैनीताल) के परिसर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य गतिमान है। गौशालाओं हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना बनायी जायेगी। प्राइवेट लघु डेयरी प्रोत्साहन योजना

के तहत 20 प्रतिशत सब्सिडी व 80 प्रतिशत सहकारिता ऋण आधारित 200 डेरियों की स्थापना की योजना इस वर्ष क्रियान्वित की जायेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य में इंदिरा दुग्ध मण्डलों की स्थापना गतिमान है।

विभिन्न स्रोतों से मत्स्य पालन हेतु 288.19 लाख मत्स्य बीज वितरित किये गये तथा मत्स्य संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु विभिन्न जलस्रोतों में 509.25 लाख मत्स्य बीज संचित किये गये। विभागीय प्रबंधान्तर्गत झीलों में मत्स्य आखेट हेतु लगभग 731 ऐग्लिंग लाइसेन्स निर्गत किये गये। प्रदेश के मत्स्य पालकों के उत्पादन स्तर बढाये जाने के दृष्टिगत **राज्य मात्सियकी इनपुट** योजना प्रारम्भ की जा रही है। मत्स्य आहार उपलब्ध कराने के लिए **दो मत्स्य फीड मिल** की स्थापना की जा चुकी है जिससे मत्स्य पालकों को अनुदानित दरों पर संतुलित मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जायेगा। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **केज कलचर** भी प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ किया जा रहा है। गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में मत्स्य बीज का उत्पादन दो गुना किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु दो नई हेचरी जनपद ऊधमसिंह नगर के बौर तथा जनपद टिहरी के कोटेश्वर में प्रारम्भ की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन विभाग हेतु ₹ 263.08 करोड़ का प्रावधान है।

सहकारिता :

सहकारिता विभाग द्वारा उर्वरक परिवहन पर राज सहायता, पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेप के लिये निक्षेप गारन्टी योजना, सहकारिता सहभागिता योजना, राज्य सहकारी परिषद् हेतु वित्तीय

सहायता आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य के कर्मचारियों को उचित दरों पर सामान उपलब्ध कराये जाने हेतु **उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम** की स्थापना की गई है, जिसके लिए बजट में धनराशि प्राविधानित की जा रही है।

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहकारिता सहभागिता योजनान्तर्गत माह दिसम्बर 2015, तक 13724 सदस्यों को 66870 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया है। सहकारी बैंकों एवं समितियों के माध्यम से माह दिसम्बर, 2015 तक 65281.00 लाख रूपये का अल्पकालीन ऋण वितरण एवं 1589.00 लाख रूपये का मध्यकालीन ऋण वितरण किया गया है। 13724 नये सहकारी सदस्य बनाकर माह दिसम्बर, 2015 तक 630.92 लाख रूपये की अंशधन वृद्धि की गयी। समस्त **जिला सहकारी बैंकों को नाबार्ड के सहयोग से सी.बी.एस.** कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पोषित योजना के अन्तर्गत 6 जनपदों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनायें क्रियान्वित हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सहकारिता विभाग हेतु ₹ 60.90 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकासः

केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्यों को क्रियान्वित किये जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, ग्रामीण संयोजकता को पूर्ण करने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण

सड़क योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 परिवारों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने एवं आवास उपलब्ध कराने हेतु इन्दिरा आवास योजना संचालित की जा रही है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना, राज्य ऋण सह अनुदान **ग्रामीण आवास योजना, मेरा गाँव मेरी सड़क योजना एवं इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना** आदि राज्य में सफलता पूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु पूर्व संचालित कार्यों/ निर्माण कार्यों को युगपतिकरण/मैचिंग अंश आदि के माध्यम से वित्त पोषित कराये जाने हेतु **ग्राम्य विकास कोष** की स्थापना की जा रही है। **मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना** अन्तर्गत **क्रिटिकल गैप फण्डिग** हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है। ऐसे स्वयं सहायता समूह जो अपनी आर्थिक स्थिति के चलते ऋण चुका पाने में असमर्थ हैं, के लिए **स्वयं सहायता समूहों हेतु ब्याज उपादान योजना तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से **"स्वयं सहायता समूह हेतु क्रियाशील पूँजी"** योजना प्रारम्भ की जा रही है। आपदाग्रस्त जिलों के महिला मंगल दलों एवं युवक मंगल दलों को एक बार की सहायता स्वरूप एक निश्चित धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 05 जनपद यथा चमोली, चम्पावत, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर तथा पिथौरागढ़ के 09 विकास खण्डों में आम जनमानस के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न अवस्थापना

सृजन के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। **दीनदयाल ग्रामीण आवास** योजना शत–प्रतिशत राज्य पोषित योजना है। जिसका क्रियान्वयन **इन्दिरा आवास योजना** के अनुरूप आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जा रहा है। राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना (क्रेडिट कम सब्सिडी योजना) राज्य के संसाधनों से ₹ 32 हजार वार्षिक आय वर्ग तक के आवास विहीन/कच्चे आवास वाले परिवारों को बैंक लिंकेज के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत राज्य के 74 सीमान्त एवं पिछड़े विकास खण्डों में स्थानीय आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं की पूर्ति की जा रही है। इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में स्वंय सहायता समूहों द्वारा कम से कम एक सस्ते भोजन की कैन्टीन का संचालन किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत आईफैड बाह्य सहायतित परियोजना संचालित है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों हेतु बेहतर आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करते हुए आजीविका में सुधार लाना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्राम्य विकास विभाग हेतु ₹ 2319.36 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायतीराजः

"यतेमहि स्वराज्ये" के मूल सिद्धान्त के अन्तर्गत पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर क्षेत्र पंचायत विकास निधि योजना, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण, निर्वाचित महिला

प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, बी0आर0जी0एफ0 आदि संचालित की जा रही है।

त्रिस्तरीय पंचायतों में पुनर्गठन/परिसीमन पूर्ण कराया गया है। ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 7950 हो गयी है। उक्त के पश्चात् माह जून, 2014 में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन पूर्ण कराते हुए पंचायतों का गठन कर सभी ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक पश्चात कार्यकाल प्रारम्भ किया गया। राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत जनपद चम्पावत एवं उत्तरकाशी में जिला स्तरीय रिसोर्स सेंटर का निर्माण, 29 विकास खण्डों में विकास खण्ड स्तरीय रिसोर्स सेंटर का निर्माण, 38 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण एवं 186 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराते हुए अन्य सभी पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में आवंटित धनराशि के सुनियोजित उपयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा **डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना** का प्रारम्भ किया गया है इस हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। **14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में ग्राम पंचायतों हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।** जिला योजना समिति के गठन हेतु सदस्यों के निर्वाचन के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या का निर्धारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर जिला योजना

समिति के सदस्यों का निर्वाचन कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। राज्य का पंचायती राज कानून लाया जा रहा है। प्रधानों व पंचायत प्रतिनिधियों की **शिकायतों को सुनने के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाया जायेगा।**

जलागम प्रबन्धन :

जलागम विभाग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वानस्पतिक संवर्द्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन हेतु जलागम प्रबंधन योजनाएं संचालित करना है। यह योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता से चलाई जा रही हैं जिसमें ग्रामीणों तथा ग्राम स्तरीय संस्थाओं की क्षमता एवं कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

वर्तमान में केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—जलागम विकास के अन्तर्गत अब तक 4256 वर्ग किमी0 क्षेत्र हेतु 69 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के 13 जनपदों के 1374 ग्राम पंचायतों के 3003 राजस्व ग्रामों के लगभग 206 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना कार्यक्रमों से मृदा में जैविक कार्बन की वृद्धि 5 प्रतिशत, वृक्षाच्छादन में वृद्धि 15 से 20 प्रतिशत, भूजल स्तर में वृद्धि 10 से 20 प्रतिशत तथा चारा क्षेत्र में वृद्धि 5 से 6 प्रतिशत व उन्नत प्रजाति एवं अधिक उत्पादन वाले प्रजाति फसलों के क्षेत्र में 7 से 20 प्रतिशत वृद्धि आदि योजना के परिणामी सूचक निर्धारित हैं। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में **पाँच सौ छोटे जलाशयों** का निर्माण करने हेतु प्रतिबद्ध है। इन

जलाशयों के निर्माण से जहाँ सिंचाई एवं पेयजल की समस्याओं का समाधान होगा वहीं स्थानीय जल स्रोतों का पुनर्जीवन होगा तथा भू–कटाव में कमी आयेगी।

विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना–2 (ग्राम्या–2) का वित्तीय वर्ष 2014–15 से कार्यान्वयन कराया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के 2638 वर्ग किमी0 क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है जिससे लगभग 509 ग्राम पंचायतें लाभान्वित होंगी। इनके अन्तर्गत लगभग 55600 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सात वर्षीय यह योजना 2021–22 में पूर्ण होगी। योजना कार्यान्वयन के फलस्वरूप जल स्रोतों में जल उपलब्धता में 25 प्रतिशत वृद्धि, जैवभार में 20 प्रतिशत वृद्धि, सिंचित क्षेत्र में लगभग 2538 हैक्टेयर की वृद्धि के साथ ही सिंचित क्षेत्र की उत्पादकता में 50 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र की उत्पादकता में 20 प्रतिशत वृद्धि आदि परिणामी सूचक निर्धारित है।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि वित्त पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के सहभागी जलागम विकास कार्यों को 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 702 वर्ग किमी0 में, वर्ष 2012–13 से संचालित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जलागम प्रबन्धन विभाग हेतु ₹ 145.00 करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई :

राज्य की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा माह दिसम्बर, 2015 तक 30095.70 किमी0 सिंचाई गूल, 37412 सिंचाई हौज, 1477 डाईड्रम, 55685 बोरिंग पम्पसेट, 198 भूस्तरीय पम्पसेट, 721 गहरे/मध्यम नलकूप, 316 आर्टीजन कूप तथा 41 छोटे वियर का निर्माण कर, 515489.59 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2016–17 में सिंचाई विभाग 1000 छोटे–बड़े वर्षा जलाधारित व गाड़–गधेरा आधारित जलाशयों का निर्माण करेगा। इनमें जाखन, रवासन, लखौरा, पनार, विश्वनाथ, लदया, गगास, दोनोंनयार, सोमेश्वर, रई, भिक्यिासैंण, कर्णकरायत में बनने वाले जलाशय सम्मिलित हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रेशनाईलेजशन ऑफ माईनर ईरीगेशन के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल लगभग 12.50 लाख हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा माह दिसम्बर, 2015 तक 5.15 लाख हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गयी है।

राज्य के असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं से आच्छादित करने तथा आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग के वार्षिक आय–व्ययक में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। राज्य में सिंचाई विभाग द्वारा 3.991 लाख है0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अल्मोड़ा शहर की जलापूर्ति कोसी नदी पर बैराज पूर्ण होने की अवस्था में है। इससे अल्मोड़ा शहर की जलापूर्ति सुचारू रूप से सम्पन्न हो जायेगा। राज्य

सरकार नाबार्ड के सहयोग से नवीन सिंचन क्षमता का विकास कर रही है। उत्तराखण्ड में कृषि योग्य भूमि के सीमित होने के कारण नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों आदि की कृषि भूमि के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना का निर्माण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सिंचाई बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई विभाग हेतु ₹ 1274.70 करोड़ का प्राविधान है।

पेयजल :

प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। विभाग द्वारा 1025 हैण्ड पम्प की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 1170 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया गया। ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता के अन्तर्गत 37615 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया। नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत 11 पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया। वर्तमान में राज्य के 25 नगरों में आंशिक जलोत्सारण व्यवस्था उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित चार नगरों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, मंगलौर एवं नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार हेतु एवं देहरादून, मसूरी, हरिद्वार एवं नैनीताल शहरों की जलोत्सारण व्यवस्था हेतु स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में पेयजल विभाग हेतु ₹ 676.90 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण :

पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाएं यथा **''हमारा पेड़ हमारा धन योजना'', ''वर्षा जल संरक्षण योजना''** सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। उत्तराखण्ड में वनों पर निर्भरता कम करने तथा स्थानीय लोगों की प्रकाष्ठ, ईधन व चारा की माँग की पूर्ति हेतु निजी भूमियों पर ईंधन, चारापत्ती, फलदार व प्रकाष्ठ प्रजातिओं के रोपण को प्रोत्साहन देने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की **फ्लैगशिप योजना** ''हमारा पेड़ हमारा धन योजना'' वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अन्तर्गत 1,51,500 पौध रोपण के लक्ष्य के सापेक्ष 1,67,528 पौधों का रोपण कर लिया गया है। योजना को आम–जनता में भारी समर्थन प्राप्त हुआ है और इस योजना से अब तक 3177 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी की **फ्लैगशिप योजना, ''वर्षा जल संरक्षण योजना''** के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में कैम्पा में भू–जल की उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु जल संरक्षण संरचनाओं जैसे 245 जलकुण्डों का निर्माण, 840 जल कुण्डों व जलस्रोतों का पुनरोद्धार किया जा रहा है। नवीनतम बाघ गणना (2014) के अनुसार बाघों की संख्या के विषय में उत्तराखण्ड देश का दूसरा राज्य बन गया है। राज्य में 340 बाघ विद्यमान हैं। उत्तराखण्ड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त कर लिया गया है। इस कार्ययोजना में राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की रणनीति तैयार कर ली गयी है। प्रदेश में ''ईकोटूरिज्म'' को

बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत तीन वर्षों में 26 'बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन' में पक्षी अवलोकन कैम्प आयोजित किये गये जिनमें 604 प्रतिभागी लाभान्वित हुए इनमें 252 प्रतिभागी वन कर्मी व 140 ''बर्ड गाईड'' थे । उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में 693 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वन सम्पदा एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं अपनत्व स्थापित करने के उद्देश्य से धनौल्टी की भाँति ईको पार्कों का निर्माण किया जायेगा। प्रदेश में वानिकी कार्यों में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के उद्देश्य से **ईको टास्क फोर्स** द्वारा वनीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 06 कम्पनियाँ कार्यरत हैं। इन कम्पनियों के द्वारा देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, तथा पिथौरागढ़ जनपदों के दुर्गम एवं दूरस्थ स्थलों में वनीकरण के कार्य किये जा रहे हैं, जिससे भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सराहनीय योगदान प्राप्त हो रहा है। मानवीय गतिविधियों के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है व मानव वन्य जीवन संघर्ष राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस संघर्ष की चुनौती को न्यूनतम करने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन जीवों से खेती की सुरक्षा योजना** के अन्तर्गत जंगली जानवरों/ सुअर रोधी दीवार के निर्माण कार्य जारी हैं। **हल्द्वानी में एक अन्तर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी** की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक्वेरियम, बर्ड एवियरी, वन्य जीव सफारी, बॉयो डायवरसिटी पार्क, जलाशय तथा म्युजिकल फाउन्टेन, बच्चों के लिए ट्रेन, युवाओं

के लिये गार्डन जिम, वरिष्ठ नागरिकों के लिये नाना–नानी पार्क, उत्तराखण्ड नॉलेज सेंटर एवं साइंस पार्क आदि आकर्षण के केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। कृषकों एवं शहरी क्षेत्र की जनता को बन्दरों की समस्या से राहत दिलाने हेतु **मानव–वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना** के अन्तर्गत छकाता रेंज (हल्द्वानी प्रभार) एवं चिड़ियापुर रेंज (हरिद्वार वन प्रभाग) में एक–एक रेस्क्यू सेंटर/मंकी पार्क की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। देहरादून के मालसी में कैम्पा के अन्तर्गत चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष 10 बंदर बाड़े बनाये जायेंगे। आशारोड़ी व सौनी में वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये जायेंगे। वन विभाग द्वारा प्रकृति प्रेमियों हेतु फॉरेस्ट ट्रेक रूट का विकास किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन एवं पर्यावरण विभाग हेतु ₹ 810.83 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण :

सरकार द्वारा थारू व बोक्सा जनजाति के युवक युवतियों की तकनीकी शिक्षा/कौशल विकास हेतु क्रमशः **"चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना", "महाराजा जगत देव शिक्षा कोष की स्थापना"** योजना तथा राजभर समुदाय के विधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से **राजा सुहेल देव छात्रवृत्ति योजना** प्रारम्भ की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा **शहीद उधम सिंह कम्बोज** के नाम पर छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु कार्पस फण्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई है। अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं को कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्रदान किये जाने हेतु

जनपद–हरिद्वार में एक राजकीय आवासीय विद्यालय संचालित किया गया है। विभाग द्वारा 18 वर्ष तक के **विकलांग बच्चों को ₹ 500/–प्रतिमाह भत्ता** दिये जाने तथा साथ ही **बौने व्यक्तियों को भी ₹ 800/–प्रतिमाह पेंशन** दिये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी है। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो हेतु **डा० अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना** तथा अति पिछड़े वर्ग हेतु **बाबा साहेब फूले योजना** प्रारम्भ की जा रही है। **मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना** के माध्यम से प्रति परिवार पचास हजार की बीमाकृत राशि को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। विशेष बीमारियों में पचास हजार की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा **मुख्यमंत्री मुस्लिम छात्राओं हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना** प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, उनके पारंपरिक कौशल का संरक्षण, पुनर्जीवीकरण एवं उन्नयन, विभिन्न विधाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण देते हुये स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद्"** का गठन किया गया है। **संत केशर सिंह स्मृति सहायता कोष योजना** को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।

अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति (राज्य पोषित) वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजना का संचालन एन0आई0सी0 के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार करते हुए पूर्णतः ऑनलाईन किया जा रहा है। इसी प्रकार समाज के ट्रांसजेण्डर्स को शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ने तथा रोजगार हेतु कौशल विकास के लिए **अंब्रेला योजना** में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में समाज कल्याण विभाग हेतु ₹ 1273.96 करोड़ का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण :

उत्तराखण्ड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा एवं शान्ति के प्रति अपने बहुमूल्य योगदान एवं बलिदान देने वाले राज्य के 16 प्रतिशत जनसंख्या के रूप में पूर्व सैनिकों, शहीदों तथा उनके आश्रितों का सामाजिक, आर्थिक कल्याण एवं पुनर्वास और शैक्षिक विकास करके उन्हें देश सेवा के लिए अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं यथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्सेवायोजन, वीरता पदक विजेताओं को अनुदान, ब्लॉक प्रतिनिधियों को मानदेय, टोल फ्री टेलीफोन की व्यवस्था तथा मोबाइल फोन की सुविधा, सैनिक विश्राम गृह का निर्माण आदि संचालित की जा रही हैं। **अर्द्धसैनिक बल निदेशालय** का गठन किया गया है। सरकार द्वारा पैरामिलिट्री बलों के सेवानिवृत्त जवानों को **कैन्टीन सुविधा विस्तारित करने व**

कैन्टीन की मदिरा में लगने वाले वैट में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। पूर्व सैनिकों को भी मदिरा पर लगने वाले वैट में आधी छूट दी जायेगी।

उत्तराखण्ड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जनपद–नैनीताल के अतिरिक्त **जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग** में भी एक अन्य सैनिक स्कूल निर्माणाधीन है जिसे शीघ्र संचालित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सैनिक कल्याण हेतु ₹ 36.80 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

उत्तराखण्ड में वर्तमान में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 13 जनपदों में 08 शहरी क्षेत्रों में तथा 97 ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार कुल राज्य में 105 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। विभाग द्वारा प्री–स्कूल किट/मेडिसीन किट तथा ड्रेस उपलब्ध कराया जाना, किशोरी शक्ति योजना, हमारी कन्या हमारा अभिमान (नन्दा देवी कन्या) योजना, अनुपूरक पोषाहार, तीलू रौतेली पुरस्कार, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण, **मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना**, **मुख्यमंत्री सतत् आजीविका योजना** आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन किया गया है। **गौरा देवी कन्याधन** योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि भी दुगनी कर दी गई है। कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाली महिलाओं को **तीलू रौतेली पेंशन** दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा **किशोरी बालिकाओं हेतु सेनेट्री नेपकीन** की व्यवस्था हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान में विभागान्तर्गत 19483 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियाँ एवं 14622 आंगनबाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं। माह अप्रैल से राज्य में प्रत्येक माह की 05 तारीख को वजन एवं पोषण दिवस का आयोजन प्रारम्भ किया गया। इस दिवस को जन्म से 03 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का आंगनबाड़ी केन्द्र पर नियमित रूप से वजन लिया जा रहा है तथा गर्भवती/धात्री एवं सात माह से तीन वर्ष के बच्चों को टी0एच0आर0 का वितरण किया जा रहा है। जनपद स्तर पर प्रत्येक माह की 10 तारीख को चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। 14 अगस्त, 2015 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा **खिलती कलियां कार्यक्रम** का शुभारम्भ जनपद देहरादून में किया गया। पूर्व संचालित नंदा देवी कन्या योजना को पुनर्गठित कर **हमारी कन्या हमारा अभिमान** योजना के नाम से संचालित की गयी है। अनाथ बच्चों के लालन–पालन हेतु **परवरिश योजना** प्रारम्भ की जायेगी। बालिकाओं में शैक्षिक उत्कृष्टता को मान्यता देने हेतु विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली 314 बालिकाओं को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 को कम्प्यूटर टैबलेट प्रदान किये गये हैं। टैबलेट में शैक्षिक एवं सुरक्षा एप्लीकेशन अपलोड किये गये हैं। **मुख्यमंत्री गोद भराई योजना**, मुख्यमंत्री **अन्नप्राशन योजना, लाडो बाल विवाह उन्मूलन योजना तथा मुख्यमंत्री मातृत्व सम्मान योजना** के क्रियान्वयन के कार्यक्रम की कार्यवाही गतिमान है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं के विशेष योगदान को देखते हुए उन्हें प्रतिवर्ष क्षेत्र विशेष बोनस राशि को दोगुना किया जा रहा है तथा उनके कल्याण हेतु गठित रिवाल्विंग फण्ड में प्रति वर्ष धनराशि जमा की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हेतु ₹ 902.99 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, होम्योपैथिक तथा आयुषः

चिंकित्सा उपचार के क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा स्वयं के साधनों के अतिरिक्त लोक निजी सहभागिता के मॉडल को भी अंगीकृत किया है, जिसके अन्तर्गत चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन निजी सहभागिता से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने चिकित्सा उपचार की सेवाओं को विस्तारित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से **हैल्थ सिस्टम डेवलेपमेन्ट परियोजना के द्वितीय चरण** पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

डायग्नोस्टिक सेवाओं के अन्तर्गत एम0आर0आई0, नेफ्रोलॉजी, कार्डियक केयर यूनिट, नेफ्रोडायलिसिस आदि का संचालन भी लोक निजी सहभागिता के द्वारा किया जा रहा है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश के अनुसार चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए **मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना** के अन्तर्गत राज्य के लगभग 12 लाख परिवारों का ₹ 50000/–तक सामान्य रोगों के लिए बीमा आरम्भ किया गया है तथा ₹ 1.25 लाख गम्भीर रोगों के

उपचार की कैशलैश बीमा–सुविधा दिए जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

राज्य कर्मचारियों को नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यू0 हैल्थ स्मार्ट कार्ड योजना के अन्तर्गत 10070 **हैल्थ स्मार्ट कार्ड** निर्गत किए गए हैं। सरकार द्वारा इस योजना को राज्य के समस्त कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए लागू किया जाना विचाराधीन है। पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून में एवं मै0 अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई के सहयोग से नैफ्रोलॉजी यूनिट का सफल संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार तथा ए0डी0बी0 (एशियन डेवलपमेन्ट बैंक) के सहयोग से **संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार एवं जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में डायग्नोस्टिक सेंटर** की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों/यात्रा मार्गों पर चरणबद्ध रूप से **ट्रामा सेंटर की स्थापना** का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

राज्य में चिकित्सकों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः चिकित्सकों के राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में **ठहरने/आवासीय व्यवस्था हेतु ट्रांजिट हॉस्टल** का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में एच0आई0वी0 मुक्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुल 27 लाइसेंन्स प्राप्त रक्त कोष क्रियाशील हैं। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के 08 जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत स्कूलों में प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार तथा तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता

के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गत वर्ष गणतन्त्र दिवस 2015 के अवसर पर जनपद टिहरी गढ़वाल को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में गुटखा उत्पादन, वितरण तथा बिक्री को प्रतिबन्धित किए जाने के परिणामस्वरूप एन.एफ.एच.एस.–4 (वर्ष 2015–16) के आंकड़ों में आशातीत कमी दर्ज हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं में तम्बाकू सेवन 2.5 प्रतिशत तथा पुरूषों में तम्बाकू सेवन 9.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है।

राज्य के जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों, विकलांग एवं गर्भवती महिलाओं को सहायता के लिए **"आशा हैल्प डेस्क"** स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि चिकित्सालय में आने वाले उक्त प्रकार के मरीजों को उपचार प्राप्त करने में सहायता हो सके। राज्य की आशा कार्यकत्रियों एवं दाईयों हेतु **एक मुश्त अनुदान** के रूप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए "नियत दिवस योजना" प्रारम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक माह के 05 तारीख को वजन–पोषण का आंकलन, प्रत्येक माह के 10 तारीख को आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रत्येक माह के 15 तारीख को परिवार नियोजन शिविर आयोजित किए जायेंगे।

विश्व बैंक की सहायता से हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट परियोजना हेतु आर्थिक सहायता राज्य को शीघ्र स्वीकृत हो जायेगी। इस परियोजना द्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ लोक निजी सहभागिता के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं

प्राप्त की जायेंगी। प्रायोगिक तौर पर जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मोबाईल हैल्थ वैन को एक इकाई मानते हुए चिकित्सा उपचार की सेवाओं को चिन्हित जनपदों में प्रारम्भ किया जायेगा। प्रयोग के सफल परिणामों के आधार पर इसे राज्य के अन्य जिला चिकित्सालयों में विस्तारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक परियोजना में विभिन्न प्रकार के शोध कार्य तथा सूचना तकनीकी तंत्र को विकसित कर स्वास्थ्य सेवाओं को सहज एवं सरल बनाने की महत्वाकांक्षी पहल अमल में लायी जानी प्रस्तावित है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के आलोक में केन्द्र सहायतित विभिन्न योजनाओं यथा स्वास्थ्य बीमा योजना, ट्रर्सरी केयर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हेतु बजट प्राविधान किया गया है। आशा है कि स्वास्थ्य विभाग **"विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम"** के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा।

आयुर्वेदिक केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं अपितु जीवन विज्ञान है जिसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण एवं रोगी के रोग का निवारण करना है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चिकित्साधिकारियों की मांग के अनुरूप **162 औषधियों का निर्माण ऋषिकुल राजकीय औषधि निर्माणशाला, हरिद्वार** में किये जाने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए फार्मेसी को मशीनों एवं साज–सज्जा से सुसज्जित किया जा रहा है। फार्मेसी में जी0एम0पी0 मानक पूर्ण करने हेतु आवश्यक भवन एवं संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आशा है कि यह फार्मेसी निकट भविष्य

में शुद्ध एवं प्रामाणित औषधियों का उत्पादन कर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होगी। गुणवत्ता पूर्ण आयुर्वेदिक औषधियां क्रय करने हेतु शासन द्वारा औषधि क्रय नीति जारी की जा चुकी है। राज्य में जैनरिक औषधियां ही क्रय की जाएंगी ताकि समस्त राजकीय चिकित्सालयों में जन सामान्य को न्यून व्यय पर औषधि उपलब्ध हो सके। **पाटी जिला चम्पावत में आयुष महाविद्यालय स्थापित किया जायेगा।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, होम्योपैथिक तथा आयुष विभाग हेतु ₹ 1742.90 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा शिक्षा :

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक कारगर एवं बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य में दून, अल्मोडा, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज क्रियान्वित करने हेतु संकल्प किया जा चुका है। कोटद्वार, भगवानपुर व रूद्रपुर में पी0पी0पी0 मॉडल आधारित मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। राज्य में सेवायोजन के अवसर उत्पन्न करने हेतु नर्सिंग क्षेत्र कॉलेज देहरादून के अतिरिक्त **06 नर्सिंग कॉलेजों को समेकित मॉडल में प्रारम्भ किये जाने के राज्य सरकार** के प्रयास जारी हैं। इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2016–17 से राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में नर्सिंग कॉलेज के संचालन हेतु 48 पद तथा जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में नर्सिंग स्कूल हेतु 37 पद स्वीकृत

किये जा चुके हैं। उक्त के अतिरिक्त राज्य में मेडिकल कॉलेज देहरादून का एम0सी0आइ0 द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है जिससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु ₹ 187.69 करोड़ का प्राविधान है।

विद्यालयी शिक्षाः

"सा विद्या या विमुक्तये, विद्यास्ति ज्ञान विज्ञान दर्शनः संस्क्रियात्मानि के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा हेतु राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय संचालित हैं। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार एवं अध्यापकों को अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रविष्टि की व्यवस्था की गयी है। राज्य में **गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के 02 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 01 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक स्तर के 02 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल)** के रूप में संचालित किये जाने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। इनमें भी राज्य की सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के दृष्टिगत प्रत्येक ब्लॉक में पूर्व से संचालित विद्यालयों का ही सुदृढीकरण कर उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। राज्य में नवोदय विद्यालयों की स्थापना एवं रमसा के अन्तर्गत **उन्नति योजना** हेतु धनराशि प्राविधान किया जा रहा है।

शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने हेतु बड़े पैमाने पर **विजटिंग अध्यापकों** की नियुक्ति की गयी है। रमसा के ही अन्तर्गत 150 उर्दू व 50 बंगाली अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के 95 प्रतिशत विद्यालय शिक्षकों से परिपूर्ण हो जायेंगे।

प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण परिक्षेत्रों में गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्केटर्ड हैबिटेशन के स्थान पर आवासीय विद्यालयों की सुविधा सुलभ कराने हेतु राज्य के 04 जनपदों क्रमशः पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल एवं पौड़ी में **राजीव गाँधी अभिनव आवासीय** विद्यालयों की स्थापना की गई है। प्रत्येक जनपद स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में **एक ज्ञान प्रयोगशाला** की स्थापना किए जाने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। इस योजना में माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से संचालित प्रयोगशालाओं को सभी उपकरणों से सुसज्जित कर **ज्ञान प्रयोगशालाओं** की स्थापना की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विद्यालयी शिक्षा विभाग हेतु ₹ 6238.40 करोड़ का प्राविधान है।

उच्च शिक्षाः

प्रदेश के दुर्गम–दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये विगत समय में कई नये महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं। इस क्रम में **अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय** हेतु धनराशि प्रस्तावित की गई है। सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा पहुँचे इस उद्देश्य से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली योजना में

सैटेलाइट एवं ऑनलाइन एजुकेशन जैसी नवीन तकनीकी का उपयोग किये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 31 महाविद्यालयों का यू0जी0सी0 की एन.ए.ए.सी. से मूल्याकंन किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार उच्च शिक्षा सुविधा की उपलब्धता विकसित करने के लिए निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने की अपनी नीति का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य में अब तक 11 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2015 में 03 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किये गये हैं। कुमाऊँनी एवं गढ़वाली भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **स्कूल ऑफ लोकल लैंगवेज** स्थापित किये जाने हेतु दून विश्वविद्यालय एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

राज्य के छात्र–छात्राओं को रोजगारपरक शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में **प्रोजेक्ट उत्कर्ष** योजना संचालित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उच्च शिक्षा विभाग हेतु ₹ 463.16 करोड़ का प्राविधान है।

तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षणः

सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्रों को तकनीकी कुशल बनाने के लिए राज्य में 36 नये राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना की गयी है। अब राज्य में राजकीय

पॉलिटेक्निक की संख्या बढकर 78 हो चुकी है जिसमें से 70 राजकीय पॉलिटेक्निकों संस्थानों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के 13 आई.टी.आई. को पॉलिटेक्निक के रूप में विकसित करेगी। भूमि विहीन पॉलिटेक्निक संस्थानों हेतु भूमि प्राप्ति के प्रयास शीर्ष प्राथमिकता के साथ त्वरित गति से संपादित किये गये हैं। राजकीय/सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निकों में अध्ययनरत् छात्रों हेतु **"मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना"** लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मैरिट कम मीन्स आधार पर प्रतिमाह ₹ 1000/– छात्रवृत्ति संस्था स्तर से सीधे प्रदान की जाती है।

उत्तराखण्ड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकतानुरूप नई टिहरी, गोपेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा टनकपुर में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटन संस्थानों के रूप में इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की छात्राओं का रूझान तकनीकी शिक्षा की ओर होने के कारण केवल छात्राओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस एवं इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन में डब्ल्यू आई टी (महिला प्रौद्योगिकी संस्थान) की स्थापना की गयी है। **राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिथि अनुदेशक नियुक्त किये जायेंगे जिनका कैडर जिला स्तरीय होगा।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण विभाग हेतु ₹ 198.86 करोड़ का प्राविधान है।

कला एवं संस्कृतिः

उत्तराखण्ड में प्रचलित तथा बोली जाने वाली गढ़वाली, कुमाऊँनी एवं जौनसारी आदि लोक भाषाओं में शोध कार्य, लेखन आदि तथा लोक भाषाओं के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, साहित्यकारों, लेखकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु **उत्तराखण्ड बोली, भाषा संस्थान** की स्थापना की गई है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष वास्तु कला के लगभग 200 वर्ष से भी पुराने भवन जो हमारी धरोहर हैं, का जीर्णोधार कर संरक्षित तथा प्रतिस्थापित किया जायेगा। इस सन्दर्भ में पर्वतीय भवन शैली, रवाई भवन शैली की रिप्लिका उत्तराखण्ड बोली भाषा संस्थान में स्थापित की जायेंगी। भविष्य में सभी **सरकारी भवनों में पर्वतीय भवन शैली** को भी अंगीकृत किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त ऐसे भवन निर्माण करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित भी किया जायेगा। देहरादून स्थित पुरानी जेल में नेहरू जी की स्मृतियों को संजोये रखने के उद्देश्य से **नेहरू वार्ड को नेहरू हैरिटेज सेंटर** के रूप में विकसित किया जायेगा।

उत्तराखण्ड के गढ़वाल एवं कुमाऊँ क्षेत्र में चैत्र माह की संक्रान्ति के दिन से सम्पूर्ण चैत्र माह में मनाये जाने वाले **चैतुला/फुलदेई त्यौहार** को वृहद स्तर पर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। स्वामी विवेकानन्द जी की 150वीं जयन्ती की स्मृति में स्वामी जी की तपस्थली शिव मन्दिर, काकड़ीघाट,

जनपद अल्मोड़ा में निर्माणाधीन संग्रहालय, पुस्तकालय, ध्यानकेन्द्र आदि कार्यों को पूर्ण किया जायेगा। **गंगा एवं हिमालय संग्रहालय ऋषिकेश के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जायेगा**। राज्य की समृद्ध पारम्परिक लोक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के रखरखाव तथा इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन में कार्यरत प्रदेश के ऐसे अशासकीय/व्यक्तिगत संग्रहालयों को उनके प्रबंधन एवं अन्य गतिविधियों के संचालनार्थ आर्थिक अनुदान दिये जाने हेतु योजना संचालित की जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश में मनाए जाने वाले हरेला व झुमेलो में प्रतिस्पर्द्धा आयोजित कर प्रत्येक गाँव की एक महिला को पुरस्कार दिया जायेगा। इस वर्ष **जागर महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कला एवं संस्कृति विभाग हेतु ₹ 40.03 करोड़ का प्राविधान है।

भाषा:

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में व्यवहार में आने वाली भाषाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य में भाषा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ के गाँव, शहर, पर्वत, नदी नालों, खेतों, चौराहों आदि के नाम पड़ने के कारणों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। इससे लोगों को राज्य के भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत तथ्य पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। विभाग द्वारा उच्च कोटि के साहित्यकारों की साहित्यिक सेवाओं को सम्मानित करने की भी योजनाएं संचालित हैं।

राज्य में उर्दू भाषा के विकास एवं संवर्द्धन हेतु **उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी** की स्थापना की जा चुकी है। उर्दू भाषा के प्रचार–प्रसार और उर्दू साहित्य के संवर्द्धन हेतु अकादमी द्वारा उर्दू पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों का क्रय, उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान तथा मदरसों/उर्दू मीडियम स्कूलों में छात्रों के उपयोगार्थ उत्कृष्ट पुस्तकों की अनुवाद योजना, उर्दू पत्रिका का प्रकाशन, उर्दू साहित्यकारों की जयन्ती पर उर्दू साहित्यकारों का सम्मान करना एवं मुशायरें आदि का आयोजन करना एवं स्कूलों मदरसों में उर्दू भाषा से संबंधित निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाना आदि योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी कम में पंजाबी भाषा के विकास के लिए शोध पत्रिका का प्रकाशन, उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशन योजना, पंजाबी साहित्यकारों की संगोष्ठी, आदि योजनाएं बनाई जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में भाषा विभाग हेतु ₹ 27.85 करोड़ का प्राविधान है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क:

सूचना विभाग द्वारा समस्त प्रकार के भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से निष्पादित किये जा रहे हैं, जिससे कार्यों में पर्याप्त गति एवं पारदर्शिता आ रही है। राज्य के सूचना विभाग द्वारा राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन को बढावा दिये जाने के लिए **"उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015"** प्रख्यापित की

गयी है। इस नीति में राज्य में निर्मित एवं प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर में छूट तथा अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

विभाग द्वारा फेसबुक, वाटसअप, ट्वीटर (Twitter) तथा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से विश्वपटल पर शासकीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी नीतियों/योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से सूचना विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रचार साहित्य के साथ–साथ 'देवभूमि संदेश' मासिक पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है।

राज्य में प्रचलित विभिन्न बोलियों/भाषाओं में राज्य सरकार की योजनाओं/ कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से सूचना विभाग द्वारा प्रदेश भर से विभिन्न विधाओं के सांस्कृतिक दलों का चयन किया गया है। जिनके माध्यम से राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं विकास कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। विभाग शीघ्र ही स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदारी करने वाले समाचार–पत्रों की फोटो गैलरी स्थापित करने जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हेतु ₹ 74.17 करोड़ का प्राविधान है।

परिवहन :

परिवहन विभाग राज्य में परिवहन व्यवस्था के साथ–साथ राजस्व अर्जन का भी एक स्रोत है। उत्तराखण्ड परिवहन एवं

नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012 लागू होने के पश्चात् अन्य प्रदेशों से राज्य में आने वाले वाहनों से उपकर की वसूली की गई है। उत्तराखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा संबंधी मामलों के अनुश्रवण एवं उपायों को प्रभावी ढ़ग से लागू किये जाने हेतु मा0 परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन किया गया है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। जिनके द्वारा समय–समय पर सड़क सुरक्षा के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। परिवहन आयुक्त कार्यालय में परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में **रोड़ सेफ्टी सैल** का गठन किया गया है। राज्य की सड़कों को सुरक्षित बनायें जाने एवं वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित की गयी है। उत्तराखण्ड के टैक्सी ड्राईवरों को जोखिम से सुरक्षा के लिए एक नई योजना **मुख्यमंत्री व्यावसायिक चालक बीमा योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। **अल्मोड़ा में आई.एस.बी.टी. के निर्माण हेतु धनराशि** प्रस्तावित है एवं **हल्द्वानी में आई.एस.बी.टी.** की स्थापना की जा रही है तथा **सोनप्रयाग में बस अड्डे** की स्थापना की जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य के 65 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को चारों धामों, श्री हेमकुण्ड साहिब एवं श्री पिरान कलियर की निःशुल्क यात्रा, 65 वर्ष के वरिष्ठ महिला एवं पुरूष नागरिकों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। बसों में सफाई धुलाई गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा

सुरक्षा की दृष्टि से सी0सी0टी0वी0 एवं बसों की इन–आउट एवं पार्किंग का कार्य कम्प्यूटर से कराने हेतु वाह्य ऐजेन्सी की सेवाएं ली जा रही हैं। उत्तराखण्ड परिवहन निगम को नई बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान के लिये धनराशि की व्यवस्था की गई है।

सूचनाओं के आदान–प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम को इन्टरनेट से जोड़ने की कार्यवाही गतिमान है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में परिवहन विभाग हेतु ₹ 76.54 करोड़ का प्राविधान है।

नागरिक उड्डयन :

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण विशिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा राज्य के सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण एवं जनहित कार्यों के लिये राज्य से बाहर की यात्राओं हेतु राज्य के हेलीकॉप्टर एवं वायुयान के परिचालन तथा किराये के विमान आदि की व्यवस्था करते आ रहा है। विगत वर्षों के दौरान राज्य में आयी दैवी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य एवं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इसी क्रम में आपदा एवं राहत कार्यों हेतु राज्य के 13 जनपदों में 60 नये हेलीपैड ए.डी.बी. प्रोग्राम के माध्यम से हेली सेवा से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। **हल्द्वानी कुमाऊँ परिक्षेत्र में एक हेली ड्रोम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका उपयोग वर्ष 2018 में होने वाले राष्ट्रीय खेलकूद में किया जायेगा।** नैनीसैणी एवं चिन्यालीसौंण में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य अगले वर्ष तक पूर्ण किये जाने की दिशा में

कार्य चल रहा है। सरकार देहरादून–पंतनगर–नैनीसैंणी तक हवाई सेवा प्रारम्भ करने का प्रयास करेगी।

यूकाडा द्वारा सहत्रधारा हेलीड्रोम तथा हल्द्वानी से हिमालय दर्शन तथा झील दर्शन हेतु हैलीकॉप्टर सेवा एवं सहत्रधारा हैलीड्रोम से श्री केदारनाथ दर्शन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में नागरिक उड्डयन विभाग हेतु ₹ 49.22 करोड़ का प्राविधान है।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

राज्य के चतुर्मुखी विकास हेतु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिजली की बचत करने एवं बिजली की मांग व उपलब्धता के अन्तर को कम करने हेतु उपाकालि द्वारा राज्य के सभी घरेलू एवं 10 किलावाट भार तक के अघरेलू उपभोक्ताओं को रियायती मूल्य पर 7 वाट के एल0ई0डी0 बल्ब उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भारत सरकार की संस्था केयर की वर्ष 2014–15 की रेटिंग में **उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को "ए" श्रेणी** दी गई है। इसमें **उत्तराखण्ड राज्य को देश में चौथा तथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को सातवां स्थान प्राप्त** हुआ है। राज्य के उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2015–16 में अब तक कुल 52 नग 33/11 के0वी0 उपस्थानों की क्षमतावृद्धि एवं 8 नग नये 33/11 के0वी0 उपस्थानों का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में 25 नग 33/11 के0वी0 उपस्थान निर्माणाधीन है। भारत सरकार द्वारा **उत्तराखण्ड राज्य को 24X7 विद्युत आपूर्ति के लिए चयनित किया गया है।** यह लक्ष्य

वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना है। इस लक्ष्य के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक घर में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है। **उत्तराखण्ड राज्य केन्द्र सरकार के साथ इस आशय का MoU हस्ताक्षर करने वाला देश में तीसरा राज्य है।**

पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में 132 के0वी0 उपस्थान चुड़ियाला, जनपद हरिद्वार (80 एम0वी0ए0) का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जीकृत किया जा चुका है एवं जनपद देहरादून में 132 के0वी0 कुल्हाल–माजरा लाईन को दिनांक 29–07–2015 को 220 के0वी0 उपस्थान देहरादून से जोड़ दिया गया है। जिससे जनपद देहरादून की विद्युत गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वर्ष 2015–16 के दौरान ही 132 के0वी0 उपस्थान बाजपुर, काठगोदाम, भवाली, अल्मोड़ा एवं रानीखेत में कुल 140 एम0वी0ए0 परिवर्तक क्षमता की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 400 के0वी0 उपस्थान श्रीनगर (630 एम0वी0ए0), 132 के0वी0 उपस्थान से श्रीनगर द्वितीय, 132 के0वी0 श्रीनगर–सिमली लाईन (128 सर्किट किमी0) एवं 400 के0वी0 श्रीनगर उपस्थान से श्रीनगर विद्युत गृह तक पारेषण लाईन (14 सर्किट किमी0) का निर्माण कार्य भी मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। राज्य में आने वाले विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत की निकासी हेतु समेकित पारेषण तंत्र की स्थापना की गयी है जिससे राज्य के उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। **सरकार द्वारा प्रदेश के उद्योगों को**

24X7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

यूजेवीएनएल उत्तराखण्ड राज्य में वृहद्, मध्यम एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य की जल विद्युत एवं ऊर्जा के अन्य स्रोतों एवं क्षमता के विकास कार्यों हेतु राज्य सरकार का उपक्रम है। वर्ष 2015–16 में निगम की परियोजनाओं हेतु निर्धारित 4825 मि0यू0 वार्षिक विद्युत उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31–12–2015 तक निगम की परियोजनाओं द्वारा 4166 मि0यू0 विद्युत का उत्पादन कर लिया गया है। वर्ष 2016–17 में निगम की परियोजनाओं हेतु 4800 मि0यू0 विद्युत उत्पादन का लक्ष्य अनुमानित किया गया है। सरकार लघु/सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। इससे गाँवों के विकास के साथ–साथ रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। गुप्तकाशी में **रावण गंगा पर डेढ़ मेगा वॉट क्षमता की जल विद्युत परियोजना** का शिलान्यास इस दिशा में एक प्रयास है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में सूक्ष्म लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी, जिससे प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

नई परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में जनपद देहरादून में यमुना नदी पर स्थित 120 मे0वा0 क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना, 300 मे0वा0 की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना का कार्य, हिमालय प्रदेश एवं उत्तराखण्ड की सीमा पर 660 मे0वा0 की

किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण तथा जनपद चमोली में स्थित 300 मे0वा0 की बावला नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर है।

ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के प्रयासों के अन्तर्गत निगम की पुरानी परियोजनाओं के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। इसी क्रम में 9.3 मे0वा0 के मोहम्मदपुर विद्युत गृह 20.4 मे0वा0 के पथरी एवं 3.0 मे0वा0 के गलोगी विद्युत गृह का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 41.4 मे0वा0 के खटीमा विद्युत गृह की एक मशीन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही 500 Kwp क्षमता की सोलर परियोजना पथरी विद्युत गृह पर चालू कर दी गयी है। ढकरानी एवं खोदरी परिसर में प्रस्तावित 1.466 मे0वा0 एवं 4.398 मे0वा0 के सौर ऊर्जा संयन्त्रों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दिया गया है। पचास मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट **"सोलर पार्क"** की स्थापना हेतु सिडकुल, सितारगंज जनपद–ऊधमसिंह नगर में स्थल का चयन कर लिया गया है जिसे मार्च, 2017 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष में दो हजार लाभार्थियों को **सूर्योदय स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सोलर रूफटॉप के माध्यम से उद्यमी बनाया जायेगा।**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा हेतु ₹ 546.02 करोड़ का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतु :

लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होने तथा सड़कों तथा सेतुओं के चहुँमुखी निर्माण एवं सुविधायुक्त यातायात विस्तार के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सतत् प्रयासों के फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं, वित्तीय वर्ष 2015–16 की विभिन्न योजनाओं में कुल 564 किमी0 लम्बाई में मार्गों का नवनिर्माण, 1487.50 किमी0 लम्बाई में मार्गों का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण तथा 45 सेतुओं का निर्माण किया गया है।

प्रदेश के गाँवों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा सड़क यातायात सुविधा से वंचित गाँवो को सड़क यातायात सुविधा से जोड़े जाने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, राज्य में विभिन्न श्रेणियों के कुल 15638 गाँवों में से माह दिसम्बर, 2015 तक 11384 गाँवों को सड़क यातायात सुविधा से जोड़ा जा चुका है, अवशेष 4254 गाँवों में से 2755 गाँवों को संयोजित किये जाने के लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्ग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कई महत्वपूर्ण सड़कों तथा सेतुओं का निमार्ण कार्य सम्पादित किया जा रहा है। जनपद देहरादून में आई0एस0बी0टी0, बल्लूपुर एवं **बल्लीवाला में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य,** जनपद नई टिहरी में मुनी की रेती नामक स्थान पर कैलाश गेट के समीप गंगा नदी के ऊपर 310 मीटर स्पान के सेतु का निर्माण कार्य, जनपद नई टिहरी में **डोबरा–चॉठी 440 मीटर लम्बे पुल** का कार्य तथा सेतु के पहुँच मार्ग

का कार्य, जनपद अल्मोड़ा में **चौखुटिया–मासी मोटर** मार्ग (लम्बाई 13 किमी0) एवं **भतरोजखान–भिकियासैंण मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण का कार्य, नैनीताल बाईपास मोटर मार्ग** का सुदृढ़ीकरण कार्य तथा 2 सेतुओं का निर्माण कार्य, हल्द्वानी शहर के अन्तर्गत **दमवाढूंगा से आई0टी0आई0 तक नहर को कवर** कर मार्ग का निर्माण कार्य, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत **हल्द्वानी शहर की सड़कों को सौन्दर्यीकरण** का कार्य एवं **अल्मोड़ा शहर में दो भाग को जोड़ने हेतु** लगभग 1.00 किमी0 लम्बी सुरंग की डी0पी0आर0 एवं नियोजन का कार्य प्रगति पर है।

विभागीय कार्यों एवं सूचनाओं के संकलन मे त्वरित गति प्रदान किये जाने तथा विभागीय कार्यकलापों को पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ प्रदेश की जनता **तक पहुँचाये जाने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कॉन्ट्रेक्टर मैनेजमेन्ट सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेन्ट सिस्टम** एवं **रोड एक्सीडेंन्ट पोर्टल** जैसे महत्वपूर्ण ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सड़क एवं सेतु विभाग हेतु ₹ 2392.07 करोड़ का प्राविधान है।

औद्योगिक विकास :

राज्य की उच्च विकास दर अर्जित करने में औद्योगिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गत दशक में उत्तराखण्ड राज्य एक ऑटो मोबाइल, फार्मा हब के रूप में स्थापित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास की गति बनाये रखने एवं पूँजी निवेश के उपयुक्त वातावरण सृजन करने के

लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। **"ईज ऑफ डुईंग बिजनेस"** की दिशा में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिसूचना–2015 की व्यवस्थाएं 04 नवम्बर, 2015 से लागू कर दी गई है। राज्य सरकार **मैगा इण्डस्ट्रियल पॉलिसी** के अन्तर्गत प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित किये जाने एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। नये उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नेपा खुर्पिया में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा **नई एम.एस.एम.ई नीति 2015** प्रख्यापित की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य को चार भौगोलिक श्रेणियों में विभाजित करते हुए उद्यमियों को पूँजी निवेश उपादान, ब्याज उपादान व अन्य वित्तीय एवं संस्थागत प्रोत्साहन के प्राविधान किये गये हैं, साथ ही नीति के प्राविधानों के अन्तर्गत **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना** के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 1000 युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय प्रोत्साहन के प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में एक नवीन योजना **"स्टार्टअप एवं स्टैण्डअप उद्यमिता विकास योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। राज्य के दुर्गम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये उत्पादों को बीमा कवर से आच्छादित करने में सहयोग किया जायेगा तथा राज्य में निर्यातक गतिविधियों को बढ़ावा देने व इस प्रकार से अधिक से अधिक की इकाईयों की स्थापना करने हेतु स्थापित स्थल से पोर्ट तक परिवहन उपादान पर विचार किया जा रहा है, जिससे राज्य में अधिक से अधिक निर्यातक इकाईयाँ स्थापित हों।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा **महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन नीति** लाई गयी है। जिसके अन्तर्गत आगामी 3 वर्षो में 10,000 महिला उद्यमियों को 25 प्रतिशत तक पूँजी निवेश उपादान एवं 6 प्रतिशत तक ब्याज उपादान के माध्यम से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए **"राज्य सुकरता परिषद्"** का गठन किया गया है और इस परिषद् में अब तक 128 वाद दायर किये जा चुके हैं, जिसमें से 23 वादों का निपटारा आपसी सहमति से तथा 48 मामलों में अवार्ड पारित किया गया है। प्रदेश में माह नवम्बर, 2015 तक कुल 49321 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित हुये हैं। इनमें ₹ 10022 करोड़ का पूँजी निवेश एवं 231107 लोगों को रोजगार मिला है, जबकि राज्य गठन के समय प्रदेश में मात्र 14163 उद्यम स्थापित हुये थे, इनमें ₹ 700.29 करोड़ का पूँजी निवेश एवं 38509 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। पी0एम0ई0जी0पी0 योजना के सफल कियान्वयन में उत्तराखण्ड राज्य लगातार देश के सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वाले राज्यों में सम्मिलित रहा है।

प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा दिये जाने के लिए केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 हथकरघा क्लस्टरों की स्थापना की गई है, और 3000 बुनकर लाभान्वित हुये हैं। राज्य के पंरपरागत शिल्प को नई

पहचान एवं उन्नयन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जनपद अल्मोड़ा के गरूड़ाबांज स्थान पर हरिप्रसाद टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान एवं ग्राम मटेना में हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशों के तकनीकी विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम व शोध इत्यादि के कार्यों के लिए **"नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस"** की स्थापना की जा रही है। राज्य के दस्तकारों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु **जयानन्द भारती दस्तकार प्रशिक्षण योजना** लागू की जा रही है। इसी प्रकार राज्य की महिला बुनकरों, कर्मकारों की सहायता योजना भी प्रारम्भ की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित **"एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना"** राज्य के परम्परागत शिल्पों के प्रशिक्षण, विपणन एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से यूएचएचडीसी के माध्यम से राज्य के 15 विकासखण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के परम्परागत शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार"** योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य के **निर्धन कर्मकारों, बुनकरों, शिल्पकारों हेतु कलस्टर विकास योजना, स्थानीय बुनकरों के लाभार्थ विपणन विकास सहायता, कताई–बुनाई बुनकरों को आर्थिक सहायता एवं रेशा खरीद हेतु अनुदान** आदि योजनाएं प्रस्तावित हैं। राज्य द्वारा भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में नवम्बर, 2015 में प्रतिभाग किया गया। इस वर्ष

मेले का थीम **"मेक इन इण्डिया"** था। देहरादून में प्रत्येक वर्ष **"नेशनल हैण्डलूम एक्सपो"** का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को विपणन, **"हिमाद्रि" ब्राण्ड** के अधीन किया जा रहा है। हिमाद्री उत्पादों की ऑनलाइन ब्रिकी हेतु स्नैपडील के साथ यूएचएचडीसी ने करार किया है। साथ ही प्रदेश की महिला उद्यमियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **"हिमानी" पोर्टल** विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश की महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह आदि अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विपणन कर सकेंगी। काशीपुर में फूड पार्क की स्थापना की गयी है।

राज्य में खनन उद्योग को सुव्यवस्थित एवं विकसित करने हेतु उत्तराखण्ड माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में औद्योगिक विकास हेतु ₹ 356.96 करोड़ का प्राविधान है।

आवास एवं शहरी विकास :

शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के दृष्टिगत सरकार नियोजित विकास की अवधारणा पर कार्य कर रही है। इस क्रम में **मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण** हेतु **सीड कैपिटल, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण हेतु सीड कैपिटल, मैट्रो ट्रेन के सर्वेक्षण, डी.पी.आर. हेतु धनराशि का प्राविधान एवं उत्तराखण्ड मैट्रो, नगरीय अस्थापना एवं भवन कारपोरेशन को सीड मनी हेतु एक मुश्त अनुदान** आदि योजनाएं प्रस्तावित हैं। विभाग द्वारा

वन टाईम सेटेलमेंट योजना लागू की गई हैं, जो विशेष रूप से बिना नक्शा पास किए एकल आवासीय भवनों के विनियमितीकरण से संबंधित था। गैरसैंण विकास परिषद् का गठन किया गया तथा इस क्षेत्र में विनियमित क्षेत्र घोषित करते हुए विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्डिंग बायलाज में संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ–साथ भवनों की ऊँचाई 21 से 30 मीटर की गयी, ताकि राजधानी में आवासीय समस्याएं कम हो सके तथा सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध हो सके व साथ–ही–साथ कृषि योग्य भूमि को यथा सम्भव बचाया जा सके। मसूरी एवं राजपुर रोड़ में बिजली की लाईन को भूमिगत किया गया है। चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं लगभग 15 पार्कों का विकास किया गया है। हेमवती नन्दन बहुगुणा कॉम्पलेक्स, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं दून चिकित्सालय में सस्ते भोजन की इन्दिरा अम्मा कैन्टीन हेतु स्थान उपलब्ध कराया गया है। एम0डी0डी0ए0 द्वारा देहरादून शहर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण तथा ट्रैफिक सुधार को देखते हुये बुद्धा चौक, लैंसडाउन चौक, गिरीश भट्टी चौक, गाँधी चौक, मसूरी सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में गुरू गोविन्द सिंह चौक, लैंसडाउन चौक फेज–2, सहारनपुर चौक, न्यू रोड़, द्वारका स्टोर, प्रेम सुख तिराहा एवं किशन नगर चौक के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। केन्द्र आच्छादित **अमरूत योजना** हेतु एक सौ पचास करोड़ की डी.पी.आर. बना ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के छः नगर निगमों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व स्टोर्म वाटर ड्रेनेज के

अवस्थापना सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त रूप से मुरादनगर से हरिद्वार तक गंग नहर के किनारे–किनारे मैट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण पर विचार कर रही है।

राज्य के भूमिहीन, गरीब वर्ग के लिए **खुशीराम भूमिहीन आवास योजना** एवं **सड़क पर रेडी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वालों, सपेरे आदि हेतु राज्य सहायता तथा सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषित योजना** राज्य के सफाई कर्मचारियों हेतु एक नई योजना **"सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना"** प्रारम्भ की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवास एवं शहरी विकास विभाग हेतु ₹ 952.02 करोड़ का प्राविधान है।

खेल एवं युवा कल्याण:

खेल विभाग द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून में राजीव गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, हल्द्वानी (नैनीताल) में अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कार्य एवं भारत सरकार की शहरी खेल अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून के हॉकी ग्राउण्ड में एस्ट्रोटर्फ तथा काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) में बहुद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण प्रगति पर है। **जनपद–पौड़ी के रांसी एवं जनपद–पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केन्दों** की स्थापना की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने की सरकार की योजना है।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से स्पोर्ट्स एकेडमी एवं स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना हेतु योजनाएं बनायी जायेंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करने हेतु उनके पूर्व प्रशिक्षण के लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था की गई है। खेल विभाग द्वारा जनपद–अल्मोड़ा में बैंटमेन्टन लीग, जनपद–पिथौरागढ़ एवं देहरादून में फुटबॉल लीग तथा जनपद–हरिद्वार में कुश्ती लीग आयोजित की जायेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य में किये जाने के दृष्टिगत खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिये जाने धनराशि की व्यवस्था की गई है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी, कुश्ती, बॉलीबाल एवं अन्य पारम्परिक खेलों को बढ़ावा दिये जाने हेतु **ग्रामीण स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना** प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु ₹ 288.05 करोड़ का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् शोध एवं विकास, प्रदर्शन एवं विस्तार, विज्ञान लोक व्यापीकरण एवं विज्ञान धाम का गठन, हिमालन सिस्टम साइंस, महिला एवं कमजोर वर्ग हेतु साइंस सोसाइटी कार्यक्रम आदि कार्य किये जा रहे हैं। परिषद् बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित करने के लिए राज्य की नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। यू–सैक अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित समस्त क्रियाकलापों हेतु नोडल ऐजेन्सी नामित है। यू–सैक के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभाग यथा–वन, कृषि, सिंचाई,

ग्राम्य विकास, लोक निर्माण, नगर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में तकनीकी योगदान किया जा रहा है। बर्फ एवं हिमनद अध्ययन के अन्तर्गत 2014–15 के उपग्रह आंकडों के उपयोग से अलकनन्दा, भागीरथी एवं यमुना बेसिन का 5–10 दिवसीय अन्तराल पर डिजिटल एन0डी0एस0आई0 प्रोडक्टर का सृजन किया गया, जिससे हिमनद एवं बर्फ की वास्तविक स्थिति एवं जलवायु सम्बन्धी प्रभावों का पता चलता है।

राज्य जैव प्रौद्योगिकी विभाग विशिष्ट पर्यावरण एवं जैव विविधता को संरक्षित रखते हुए राज्य के समग्र विकास के लिए अपने अनेक कार्यक्रम संचालित करता है। शोध प्रयोगशालाओं को क्रियाशील बनाने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों से सहमति/समझौता (MoP) के माध्यम से जैवप्रौद्योगिकी के आधुनिकतम क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रशिक्षण. कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुके हैं। उत्तराखण्ड में बायोफर्टिलाईजर को बढ़ावा देने के लिये कई औद्योगिकी ईकाईयों के साथ परिषद् कार्यरत है। सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर माउन्टेन बायोटैक्नोलॉजी (सी0ई0एम0बी0) में टिश्यू कल्चर के माध्यम से सी0ई0एम0बी0 में कीवी, ब्राहमी, आर्किड, केसर, केला इत्यादि पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। **हल्दी में बायोटैक कौशल विकास केन्द्र** प्रारम्भ हो गया है। जहाँ टिश्यू कल्चर द्वारा औद्योगिकी तथा औषधीय पौधों के उत्पादन एवं संवर्द्धन का प्रशिक्षण, मॉडल कीवी फल के बगीचों को स्थापित करने का प्रशिक्षण, मधुमक्खी की उन्नत उत्पादन, वर्मी कल्चर बायोफर्टीजाइजर के प्रशिक्षण आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी:

इस राज्य में क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन जून, 2015 के उपरान्त राज्य वित्त पोषण से किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के समस्त कोषागार, वाणिज्य कर कार्यालय, राजस्व कार्यालय परिवहन, खाद्य, रोजगार स्वान नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, तथा अन्य विभागों यथा लोक निर्माण विभाग, डायट्स, एवं अन्य तहसील/ब्लॉक कार्यालयों को जोड़े जाने की प्रक्रिया गतिमान है। **कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0) परियोजना** के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में 6 ग्राम सभाओं के मध्य 01 सी0एस0सी0 के आधार पर कुल 2804 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष अभी तक लगभग 1835 केन्द्रों को रोलआउट किया जा चुका है। इन केन्द्रों को राज्य में **'देवभूमि जनसेवा केन्द्रों'** के नाम से जाना जाता है। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य के नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाएं तथा अन्य सेवाएं जैसे–आधार पंजीकरण, बैंकिंग, विद्युत बिलों का भुगतान एवं अन्य गैर सरकारी वाणिज्यकर सेवाएं प्रदान की जा रही है।

कैपेसिटी बिल्डिग परियोजना के अन्तर्गत राज्य में ई–गवर्नेन्स के क्रियान्वयन हेतु राज्य के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को ई–गवर्नेन्स एवं आई0टी0 के क्षेत्र में क्षमता विवर्धन के लिए ई–गवर्नेन्स कार्यशालायें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु **स्टेट ई–मिशन** टीम भी नियुक्त की जायेगी।

उत्तराखण्ड को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा मे राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों एवं स्थलों में **वाई–फाई जोन** स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। इसमें प्रथम चरण के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रानीखेत, गैरसैंण, जागेश्वर धाम में वाई–फाई जोन स्थापित किया जायेगा। इसके माध्यम से पर्यटकों तथा राज्य के नागरिकों को एक सीमा तक निःशुल्क एवं उसके पश्चात् न्यूनतम दरों पर वाई–फाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी। दूरस्थ ब्लॉकों एवं तहसील में भी वीडियों कान्फ्रेसिग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

पर्यटनः

आप सब के आशीर्वाद व राज्य सरकार के अथक प्रयास से वर्ष 2013 की आपदा के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त हो राज्य पर्यटन पुनः गति प्राप्त कर चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन सेक्टर से स्थानीय ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु **"ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना"** प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत अब तक जनपद टिहरी गढ़वाल में सौड़ एवं बंगलों की काण्डी तथा अल्मोड़ा के मावड़ा ग्राम को विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। उक्त योजनान्तर्गत होम स्टे की मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। चारधाम यात्रा संचालित किये जाने के दृष्टि से शीतकालीन चारधाम यात्रा शीतकालीन गददीस्थलों के लिये प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के तहत यात्रा प्रारम्भ से अब तक लगभग सोलह हजार से अधिक यात्रियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से दिनांक 27 एवं 28 नवम्बर, 2015 को टिहरी झील में साहसिक पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के अवसर पर निजी निवेशकों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम नवीन पर्यटन गंतव्यों यथा मुनस्यारी, जौलीजीवी, पंचेश्वर, चन्द्रपुरी, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, जागेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, छोटा कैलाश, हरकीदून आदि का विकास कर रहे हैं। **कण्वाश्रम को टूरिस्ट स्थल** के रूप में विकसित कर वहाँ प्रत्येक वर्ष **भरत महोत्सव** का आयोजन किया जायेगा। **जॉर्ज एवरेस्ट जो ऐतिहासिक धरोहर है, को भी पर्यटन के दृष्टिगत विकसित किया जायेगा।** दिनांक 14 से 19 मार्च, 2016 को **पिथौरागढ़ में अन्तर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग इवेंट** तथा दिनांक 08 से 16 अप्रैल, 2016 को **माउन्टेन बाइकिंग द्वितीय संस्करण** का आयोजन उत्तराखण्ड के 08 जनपदों में किया जाना प्रस्तावित है, जिसको नैनीताल से प्रारम्भ कर मसूरी में समापन किया जायेगा। **मसूरी में एयरो स्पोर्ट्स एवं एड़वंचर सेन्टर** बनाया जायेगा। जागेश्वर धाम में 5 से 6 नवम्बर, 2015 में अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। चिनियानौला को भी योग केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु सरकार प्रयासरत है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में एक हजार व्यक्तियों को पार्ट टाईम योग प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं उन्हें वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत

योग ध्यान केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान देकर लाभान्वित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2016—17 में पर्यटन विभाग हेतु ₹ 247.25 करोड़ का प्राविधान है।

बैंकिंग सेवाएं :

वित्तीय वर्ष 2015—16 में त्रैमास दिसम्बर, 2015 तक बैंकों द्वारा 51 नई शाखायें खोली हैं। जिन गाँवों में लाभप्रदता उपलब्ध न होने के कारण बैंक अपनी शाखायें नहीं खोल पाये हैं उन गाँवों को बैंकों द्वारा 2149 कलस्टर में विभाजित किया गया है तथा इन कलस्टर में बैंकों द्वारा 1390 बिजनेस कॉरपोन्डेन्ट नियुक्त कर ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं पहुँचायी जा रही हैं। बैंकों का आंवटित सब—सर्विस एरिया जहाँ अभी तक बी0एस0एन0एल0 की कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर बैंक, नाबार्ड के सहयोग से **सोलर वी—सेट** स्थापित कर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयासरत् है। **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के अन्तर्गत राज्य में 10,86,498 व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये **मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना की प्रीमियम राशि का भुगतान मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के द्वारा किया गया है।**

वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में वित्तीय साक्षरता सैल की स्थापना की गई है तथा इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जिले में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास

हेतु प्रशिक्षण के लिये बैंकों द्वारा आर–सेटी संस्थान की स्थापना भी की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा 15822 व्यक्तियों को आर–सेटी संस्थान द्वारा प्रशिक्षित कर स्व–रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं।

बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना के तहत फार्म सेक्टर, नॉन–फार्म सेक्टर तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण वितरण हेतु ₹ 14524 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष त्रैमास दिसम्बर, 2016 तक ₹ 9560 करोड़ का ऋण वितरण बैंकों के द्वारा किया गया है जो कि लक्ष्य का 66 प्रतिशत है मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी बैंक इस वित्तीय वर्ष में वार्षिक ऋण योजना की शत्–प्रतिशत प्राप्ति दर्ज कर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं सहायता समूह, राज्य के कुटीर एवं परम्परागत उद्योग, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं में वित्त पोषण को गति प्रदान करते हुये प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं तथा पिछड़े एवं दलित वर्ग को स्व–रोजगार हेतु ऋण वितरण करने के लिये बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से अपेक्षा की गई है कि राज्य में ऐसे स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) जो सक्रिय और कार्यशील नहीं हैं, उनको पुनःस्थापित या कार्यक्षम बनाने के लिये विशेष प्रयास किये जायें तथा उनको समुचित संसाधन एवं विपणन की सुविधा भी उपलब्ध कराये जाने के भी प्रयास किये जायें। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा

"स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम" आयोजित कर 187 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित किया गया है।

कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं :

उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों में ऑनलाईन पेंशन प्रस्तुत करने की योजना द्वारा सफलता से पारदर्शिता पूर्वक कार्य सम्पन्न हो रहा है। सेवा निवृत्त कार्मिकों एवं परिवारिक पेंशनरों को कोई दिक्कत न हो, और उन्हें सेवानिवृत्तिक लाभ समय से प्राप्त हो सके, पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को सरल किया गया है। इसके अतिरिक्त बजट व्यवस्था का सरलीकरण करते हुये वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट ऑनलाईन तैयार किया गया तथा स्वीकृतियों का लेखा जोखा भी कम्प्यूटरीकृत है। प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत तहसील/ब्लॉक स्तर पर जन–सामान्य एवं पेंशनरों को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ की नाचनी, अल्मोड़ा की सोमेश्वर, टिहरी की नैनबाग एवं बागेश्वर की ढ़ॅुग नाकुरी नामक स्थानों में उपकोषागारों की स्थापना की गयी है। वर्तमान में समस्त सरकारी सेवकों के पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने का कार्य/दायित्व निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

वाणिज्य कर :

वाणिज्य कर विभाग राज्य की आय का एक प्रमुख माध्यम है। वर्ष 2000–2001 में राज्य गठन के समय विभाग का कुल संग्रह मात्र ₹ 233.23 करोड़ था, जो कि वर्ष 2014–15 में बढ़कर ₹ 5453.44 करोड़ (अर्थात 13 वर्षों में लगभग 23 गुना) हो गया है।

माह नवम्बर–2015 तक (वर्ष 2015–16) विभाग का कुल संग्रह ₹ 3845.96 करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में संदर्भित अवधि तक प्राप्त संग्रह से 8.91 प्रतिशत अधिक है। विभाग द्वारा जनहित में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है। जिसमें वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में पाँच लाख भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

विभाग के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के उद्देश्य से केन्द्र के सहायतित मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विभाग का पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन करने के लक्ष्य को 31.03.2014 तक प्राप्त कर लिया गया है। ई–रजिस्ट्रेशन, ई–रिटर्न, ई–पेमेन्ट, ई–रिफण्ड, ऑनलाइन वाहन पंजीयन, ई ट्रिपशीट की सुविधा, ई–डी0सी0आर0, हेल्पडेस्क, एस0एम0एस0 सर्विसेज संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वाणिज्य कर विभाग हेतु ₹ 226.23 करोड़ का प्राविधान है।

स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

राज्य की जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 50 उप निबन्धक कार्यालयों में से 29 सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले उप निबन्धक कार्यालय कम्प्यूटरीकृत कराये गये हैं।

राज्य के आपदा प्रभावित 5 जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर में अधिवास कर रहे प्रत्येक अर्ह

आपदा प्रभावित लाभार्थी, जो स्वयं खरीद की गयी भूमि अथवा दाननामा के माध्यम से प्राप्त भूमि में अपने भवन का निर्माण करना चाहता है, को भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों से बाहर भू–स्वामियों से उनकी भूमि लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2015 में वर्णित प्राविधानानुसार छूट प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग हेतु ₹ 31.58 करोड़ का प्राविधान है।

आबकारी :

प्रदेश में व्यापार कर के बाद आबकारी विभाग की प्राप्तियां ही सर्वाधिक है। विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का लगभग 98 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु आबकारी विभाग द्वारा औषधियों के निर्माण हेतु अनुज्ञापन निर्गत किये जाते हैं, जिससे राज्य को आबकारी राजस्व प्राप्त होता है। प्रदेश में कार्यरत आसवनियां एब्सोल्यूट एल्कोहल का निर्माण भी कर रही है, जिसकी आपूर्ति देश की पेट्रोल निर्माता कम्पनियों को पेट्रोल में मिश्रण करने के लिए किया जा रहा है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा के बचत में राज्य भी अपना योगदान कर रहा है।

उत्तराखण्ड प्रदेश से विदेशों को एल्कोहल का निर्यात किया जाता है, जिससे प्रदेश को आबकारी राजस्व व देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। उत्तराखण्ड में मदिरा व्यवसाय पर बडे ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करने एवं नये उद्यमियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश करने के समान अवसर हेतु लाटरी के माध्यम से फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मदिरा उपलब्ध कराने के उददेश्य से एम0आर0पी0 (अधिकतम विक्रय मूल्य) का प्राविधान आबकारी नीति में किया गया है। दिनांकः 01 मई 2015 से विदेशी मदिरा की नई थोक आपूर्ति नीति लागू की गयी है, जिसके अनुसार प्रदेश स्तर पर मण्डी परिषद को विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु एफ0एल0–2 थोक अनुज्ञापन जारी किये गये हैं एवं जनपद स्तर पर गढवाल मण्डल विकास निगम को गढवाल मण्डल के जनपदों में तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को कुमाऊँ मण्डल के जनपदों में विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु उप एफ0एल0–2 थोक अनुज्ञापन जारी किये गये हैं। मण्डी परिषद् एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से होने वाली आय से कृषि/औद्योगिकी/बागवानी/फल प्रसंस्करण हेतु आधारभूत प्राविधानों एवं गतिविधियों को बढावा दिया जायेगा तथा पर्वतीय क्षेत्र में फलोत्पादन तथा फल संस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उददेश्य से **दो विन्टनरी न्यूनतम 10 किलो लीटर क्षमता की एक विन्टनरी गढवाल मण्डल के पर्वतीय क्षेत्र में एवं विन्टनरी कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित की जायेगी,** जिसमें प्रयुक्त 70 प्रतिशत फल उन्हीं क्षेत्रों से उत्पादित फलों का

उपयोग किया जायेगा। किसानों के हितों को देखते हुए मडुए से स्कॉच बनाने की संभावना पर परीक्षण कार्य चल रहा है। आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में अल्प संसाधनों के रहते हुए अवैध मदिरा की धर–पकड में वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य में प्रवर्तन कार्यवाहियों के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2015 तक कुल 2878 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं, जिनमें 43 वाहन जब्त किये गये तथा इन अभियोगों में 69038.8 बल्क लीटर अवैध शराब पकडी गयी है। देशी/विदेशी मदिरा के थोक बिक्री के अनुज्ञापनों से बिकी कार्य का ऑनलाइन कम्प्यूटरीकरण तथा मदिरा की निकासी/स्टॉक तथा परिवहन की ऑनलाइन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आबकारी हेतु ₹ 23.92 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य सम्पत्ति :

पुराने उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली को ध्वस्त कर नया उत्तराखण्ड निवास बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। वासी नवीं मुम्बई सेक्टर 30–ए में उत्तराखण्ड राज्य को आंवटित भूखण्ड पर राज्य अतिथि गृह एवं इम्पोरियम के निर्माण का निर्णय लिया जा रहा है। राज्य सम्पत्ति बिभाग के अधीन जनपद रूद्रप्रयाग में नये अतिथि गृह का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद देहरादून के रायपुर में सचिवालय भवन/विधान भवन व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के वन भूमि होने के दृष्टिगत वन भूमि प्रत्यावन की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद चमोली के भराड़ीसैंण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु वापकोस को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सम्पत्ति विभाग हेतु ₹ 34.67 करोड़ का प्राविधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा:

राज्य के सीमावर्ती जनपदों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न थानों व चौकियों की स्थापना करते हुये प्रभावी चौकसी सुनिश्चित कर अवांछित तत्वों के घुसपैठ रोकने एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिये पुलिस विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किया गया है। राज्य आपदा प्रतिवाद बल एस0डी0आर0एफ0 के मुख्यालय एवं वाहिनियों की स्थापना हेतु जनपद देहरादून के स्थान जौलीग्रान्ट में थानों रेन्ज जौली, कक्ष संख्या–02 में 23 हेक्टेयर वन भूमि पुलिस विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है तथा प्राप्त भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। इस भूमि पर एस.डी. आर.एफ. हेतु बहुउद्देशीय ब्लॉक एवं वायरलेस संचार हॉल का निर्माण कार्य कराये जाना प्रस्तावित है।

महिला सुरक्षा हेतु प्रदेश में एक हजार महिला आरक्षियों की भर्ती तथा प्रत्येक थाने में एक–एक महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति के साथ ही पी0आर0डी0 एवं होमगार्ड में भी 25 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में 13 जनपदों के विरूद्ध 07 कारागारों (जिला कारागार देहरादून, हरिद्वार, चमोली, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा) एवं दो उपकारागार (रूड़की, हल्द्वानी) क्रियाशील हैं, जिला कारागार, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत का निर्माण प्रगति पर है। जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व उद्यमसिंह नगर में कारागारों का निर्माण किया जाना विचाराधीन हैं। ओवर क्राउडिंग की समस्या के निराकरण हेतु हल्द्वानी कारागार में 01 महिला बैरक, अस्पताल, ट्यूबवैल हरिद्वार में 03 बैरकें आदि, रुड़की में बैरकों का अनुरक्षण, पाकशाला एवं मुलाकात शैड के कार्य प्रगति पर हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संगठन के द्वारा जिला कारागार हरिद्वार, देहरादून एवं हल्द्वानी में विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है, जहाँ पर अशिक्षित बंदियों को साक्षर बनाते हुए हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं दिलायी गयी हैं विगत वर्ष में जिला कारागार हरिद्वार से हाईस्कूल में 72 बंदी तथा इण्टरमीडिएट में 40 बंदी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। उच्च शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से इन कारागारों में इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत विगत वर्ष जिला कारागार हरिद्वार में 476 बंदी सम्मिलित हुए हैं। कारागार में वेदान्ता फाउन्डेशन के द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु विशेष कम्प्यूटर अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है हरिद्वार में 122 बंदियों ने अभी तक कम्प्यूटर में डी0सी0ए0 की परीक्षा पास कर ली है एवं 37 अभी अध्यनरत् हैं।

कारागारों में उपलब्ध मानव संसाधन का सकारात्मक प्रयोग करते हुए जिला कारागार देहरादून एवं हरिद्वार में उद्योग जड़ी बूटियों के उत्पादन, पुष्प उत्पादन एवं विक्रय, विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सिलाई कार्य, पावरलूम कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग, क्रॉफ्ट वर्किंग, चित्रकारी, स्क्रीन प्रन्टिंग, आर्टीफिशियल फूल, गमला, अगरबत्ती, मोमबत्ती निर्माण, रेशम धागा कताई, काष्ठकला, फैब्रिकेशन, फर्नीचर आदि के निर्माण का प्रशिक्षण एवं अम्बर चर्खा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वी0आई0पी0 इंडस्ट्रीज के माध्यम से लगेज एसंम्बल की इकाई कारागार में स्थापना की गयी है।

पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि में भी कारागारों द्वारा विशिष्ट कार्य जिला कारागार हरिद्वार द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पर लगभग 25 सौ विभिन्न प्रकार के वृक्ष रोपित किये गये हैं। यही नहीं औषधि पौधों में भी जिला कारागार हरिद्वार के द्वारा गहन कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की एक मात्र खुली कारागार सितारगंज में कृषि कार्य कराया जाता है।

राज्य गठन से पूर्व होमगार्ड्स का व्यवस्थापन मात्र 17 प्रतिशत था, जो बढ़ कर वर्तमान में लगभग 95 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो होमगार्ड्स के बढ़ते हुये योगदान का द्योतक है। अनेक राज्यों में चुनाव ड्यूटी कर चुके होमगार्ड्स के लिए उन राज्यों द्वारा निष्पक्षता पूर्वक चुनाव सम्पन्न कराये जाने पर इनकी सराहना के साथ–साथ भूरी–भूरी प्रशंसा की है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा विभाग हेतु ₹ 1595.87 करोड़ का प्राविधान है।

राजस्वः

जन सामान्य की सुविधा, जन शिकायतों के समाधान एवं क्षेत्रीय विकास के दृष्टिगत वर्ष 2015 में 05 तहसीलें (बालगंगा, लालढ़ांग, धौन्तरी, नारायणबगड़, मंच), 03 उप तहसीलें (जोशीयाडा, देवाल व पुल्ला–गुमदेश) तथा 03 परगनों (चौबट्टाखाल, भगवानपुर व चम्पावत) का सृजन किया गया तथा वर्ष 2016 में 02 उप तहसीलें क्रमशः (जाजली व बग्वाली पोखर) सृजित की गयी हैं। राजस्व विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में जनपद देहरादून के ग्राम सिल्ला तोक मध्ये ग्राम चलचला, गढ़ बुरांसखण्डा, ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर, टिहरी गढ़वाल में ग्राम सिरोला, थापला मयकुआँखोली, जुराना, पिथौरागढ़ में ग्राम गाँधीनगर एवं हरिद्वार में टिहरी डोभनगर नामक नये राजस्व ग्राम का सृजन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं हेतु ₹ 615.31 करोड़ का प्राविधान है।

आपदा प्रबन्धनः

सरकार द्वारा आपदा से प्रतिवादन हेतु राज्य आपदा प्रतिवादन बल का पृथक से गठन किया है। राज्य की आपदा के प्रति संवेदशीलता के दृष्टिगत विश्व बैंक/एशियाई बैंक सहायतित क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत **अर्ली वार्निंग सिस्टम** की स्थापना ऑटोमेटिक वैदर स्टेशन की स्थापना तथा ऑटोमेटिक रेनगेज की

स्थापना आदि का कार्य किया जा रहा है। 64 स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना की जानी है, जिसमें से जनपद देहरादून में त्यूनी, जनपद टिहरी में घनसाली, चमोली में गैरसैण पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में स्वचालित मौसम केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है।

भूकम्प से सुरक्षा के दृष्टिगत कुल **06 विद्यालयों में रैट्रोफिटिंग** कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 01 विद्यालय में रेट्रोफिटिंग का कार्य गतिमान है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुरूप राज्य व जनपद स्तर पर गठित आपदा प्रबन्धन तंत्र को और मजबूत व सक्षम किये जाने हेतु राज्य व जनपद आपदा प्रबन्धन योजनाओं, विद्यालयी आपदा प्रबन्धन योजना, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 आदि का विकास किया गया है।

आपदा के प्रति जागरूकता व खोज बचाव में जन सामान्य के उपयोग हेतु राज्य की प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 23 प्रशिक्षकों के 07 दल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं तथा राज्य की 423 न्याय पंचायतों में इन प्रशिक्षणों के माध्यम से वर्तमान तक 10575 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। इन दलों की स्थिति एवं इनके सदस्यों से संबंधित सभी जानकारियां विभाग की वेबसाइट इन पर उपलब्ध है। राज्य के जनसामान्य में आपदा के प्रति जागरूकता के विकास व तैयारियों के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, एवं उत्तरकाशी में भूकम्प संबंधी मॉक

अभ्यास किया गया है। प्रदेश के सैनिक बाहुल्य राज्य होने के नाते सेवा निवृत्त सैनिकों को आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण से जोड़ने की सरकार की योजना है।

सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जून माह में घटित प्राकृतिक आपदा क्षतिग्रस्त विभिन्न परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु निरन्तर कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रभावित जनपदों एवं श्री केदारनाथ धाम सहित चारधाम यात्रा मार्गों पर **यात्री सुविधाओं का विकास, बायोमैट्रिक पंजीकरण व्यवस्था, वाई–फाई नेटवर्क का विकास, बायोडायजेस्टर टायलेट का निर्माण, पार्किंग एवं अन्य यात्री सुविधाओं का विकास का कार्य किया जा रहा है।** मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त ग्रामों को तीन श्रेणियों (अत्यधिक संवेदनशील, अतिसंवदेनशील एवं संवेदनशील) में निर्धारित करते हुए उनके भागों/परिवारों को चिन्हित करते हुए ऐसे ग्राम/परिवार जहाँ पर आसन्न संकट है, मानव जीवन पूर्णतः खतरे में है एवं उनमें बसे संकटग्रस्त परिवारों को अन्यत्र बसाया जाना अपरिहार्य है, को वरीयता के आधार पर पुनर्वासित/विस्थापन किये जाने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

खोज एवं बचाव तथा आगामी समय में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जन–जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने की कार्ययोजना बनाई गयी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य के अन्य जनपदों में भी भूकम्प से संबंधित मॉक अभ्यास आयोजित किये जाने की कार्यवाही की जानी भी प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपदा प्रबन्धन विभाग हेतु ₹ 2131.56 करोड़ का प्राविधान है।

मान्यवर,

Woods Are Lovely Dark And Deep

But I have promises to keep

Miles to go before I sleep

Miles to go before I sleep

अब संक्षेप में मैं पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहती हूँ, जो निम्नानुसार हैः–

- **हल्द्वानी में एक अन्तर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर एवं सफारी** की स्थापना की जायेगी, जिसमें एक्वेरियम, बर्ड एवियरी, वन्य जीव सफारी, बॉयो डायवरसिटी पार्क, जलाशय तथा म्युजिकल फाउन्टेन, बच्चों के लिए ट्रेन, युवाओं के लिये गार्डन जिम, वरिष्ठ नागरिकों के लिये नाना–नानी पार्क, उत्तराखण्ड नॉलेज सेन्टर एवं साइंस पार्क आदि आकर्षण के केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- गैरसैंण में अवस्थापना कार्यों विशेषतः गैरसैंण पहुँच वाली सड़कों, विद्युत व पेयजल उपलब्धता हेतु सम्बन्धित विभागों के लिए आवश्यक बजटीय व्यवस्था की गयी है।
- गैरसैंण में विधान सभा भवन व विधायक निवास और हैलीपैड का निर्माण पूर्णतः की ओर है। सचिवालय निर्माण की योजना भी गतिशील है।

- गैरसैंण विकास परिषद् के बजट हेतु आवश्यक धन आवंटित किया जायेगा।
- नयी प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- वरूणावत पर्वत के अन्तर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेन्ट कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- रमसा के अन्तर्गत "उन्नति योजना" हेतु धनराशि प्राविधानित की गई है।
- मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- संगीत के ख्याति प्राप्त कलाकारों हेतु कार्यशाला का आयोजन के लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- 38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना प्रारम्भ की जा रही है।

- केन्द्रीय बजट 2016–17 में वर्णित योजना यथा तृतीयक देखभाल कायक्रम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना प्रारम्भ किया जा रहा है।
- सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना प्रारम्भ की जा रही हैं।
- उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण हेतु सीड कैपिटल योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- ऋषिकेश हेरिटेज योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- प्रदेश में वर्ष 2015–16 में जागेश्वर धाम, ऋषिकेश एवं हरिद्वार में अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सवों का आयोजन किया गया। आगामी वर्ष में इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों यथा–विनसर, कौसानी, चौकोड़ी आदि को योग सर्किट के रूप में विकसित कर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा, साथ ही एक हजार व्यक्तियों को पार्ट टाईम योग प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड मैट्रो, नगरीय अस्थापना एवं भवन कॉरपोरेशन को सीड मनी हेतु एक मुश्त धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- सरकार मलिन बस्तियों का नियमितिकरण करेगी। इस हेतु रू0 50 करोड़ की धनराशि से ''मलिन बस्ती नियमितिकरण कोष'' की स्थापना की जायेगी ।

- गोरखा कल्याण परिषद् की योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- समाज के अति पिछड़े वर्गों हेतु "बाबा साहेब फूले योजना" प्रारम्भ की जा रही है।
- वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, परित्यक्ता, मानसिक रूप से विक्षिप्त–विकृत व्यक्ति अथवा पत्नी, निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान, बौना पेंशन, पुरोहित पेंशन में अगले वर्ष एक लाख लाभार्थी जोड़े जाएंगे।
- राजभर समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से "राजा सुहेल देव" छात्रवृत्ति योजना हेतु कॉरपस फण्ड की स्थापना की गई है।
- किशोरी बालिका हेतु सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- जागर महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- पिछड़े वर्ग की प्रतिभावान छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देने के लिए राजा विजय सिंह पारितोषिक योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से पाबौ में वृद्ध एवं अशक्त आश्रम के संचालन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/ महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जायेगी।

- सगुन अक्षर गाने वाली महिलाओं व दाई मां को भी पेंशन योजना के तहत लाया जायेगा।
- श्री गुरू चाँद ठाकुर स्मृति सहायता कोष की धनराशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना किया जायेगा।
- भीख माँगने वाले बच्चों को आई0सी0पी0एस0 योजनान्तर्गत संचालित सवेरा योजना के तहत लाया जायेगा।
- अति पिछड़ा वर्ग समुदाय की कक्षा 9 से 12 व स्नातक व स्नातकोत्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं हेतु चन्द्र गुप्त मौर्य के नाम से योजना संचालित की जायेगी।
- जगरियों/डंगरियों को भी पेंशन योजनान्तर्गत लाया जायेगा।
- घरौंदा योजनान्तर्गत मंद बुद्धि महिलाओं एवं 18 वर्ष के बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।
- प्रत्येक पेंशनर्स को आधार नम्बर से जोड़ा जायेगा।
- बी0पी0एल0 पेंशनधारकों के अलावा अन्य पेंशनधारकों हेतु भी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- ट्रांस जेण्डर समुदाय के उत्थान के लिए अम्ब्रेला योजना में धनराशि प्रस्तावित की गई है।
- प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए डा0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- प्रमुख यात्रा मार्गो व राष्ट्रीय राजमार्गों में प्रमुख बिन्दुओं पर स्थानीय क्रॉफ्ट एवं फूड सराय विकसित की जायेगी। इन्हीं

सरायों में 50 प्रतिशत दुकानें–स्टॉल स्थानीय युवाओं व महिलाओं को आवंटित की जायेंगी।

- **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गौरा देवी कन्या धन, पूर्व दशम छात्रवृत्तियां ऑनलाईन कर दी जायेंगी।** समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी पेंशनों/छात्रवृत्तियों का सोशल ऑडिट किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम और ब्लॉक स्तर पर समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के दौरान जो पात्र लाभार्थी पेंशन/छात्रवृत्ति का लाभ लेने से वंचित रह गये हैं, उन्हें भी पेंशन/छात्रवृत्ति का लाभ दिया जायेगा।
- अर्द्ध सैनिक बल निदेशालय के गठन हेतु विभिन्न मदों में धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास रोजगार के अवसर आदि के लिए उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद् हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- मुख्यमंत्री मुस्लिम छात्राओं हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण, चिन्हीकरण एवं ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- नैनीसार (अल्मोड़ा) में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी श्रमिकों के बच्चों के प्रशिक्षण के लिए आवासीय आई0टी0आई0 खोला जायेगा।
- राज्य के मेडिकल कॉलेजों व निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों तथा बेस हॉस्पिटल में एक–एक स्पेशलाईज वार्ड भवन एवं अन्य कर्मी श्रमिकों के लिए निर्मित किये जाएंगे। इस हेतु धन की व्यवस्था सैस से की जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत फसलों के बीजों पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
- प्रदेश में कॉपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहित करने हेतु "माधो सिंह भण्ड़ारी कृषि सहभागिता योजना" प्रस्तावित है।
- उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य कल्याण निगम हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- दीन दयाल अन्त्योदय योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के अन्तर्गत चयनित कलस्टरों में विकास कार्य कराये जाने हेतु अनुदान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- ग्राम विकास कोष की स्थापना की गई है।
- उच्च प्रशिक्षण देकर 2000 क्रॉफ्टस वुमन व क्रॉफ्टस मैन तैयार किये जाएंगे।
- उत्तराखण्डी भवन शैली व व्यंजनों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने हेतु कार्य दल गठित किये जा रहे हैं।

- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत क्रिटिकल गैप फण्डिंग हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- स्वयं सहायता समूहों हेतु क्रियाशील पूँजी तथा ब्याज उपादान योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- राष्ट्रीय हाईड्रोलॉजि प्रोजेक्ट हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई हैं।
- स्टार्टप एण्ड स्टैण्डप उद्यमिता विकास हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- सिविल सर्विसेज व उच्च पदों के लिए प्रयास कर रही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- राज्य महिला नीति घोषित की जायेगी।
- सिडकुल में 200 एकड़ भूमि में महिला उद्यमी इण्डस्ट्रीयल पार्क स्थापित किया जायेगा।
- इंदिरा दुग्ध विकास मंडल स्थापित किये जाएंगे।
- आशा, आंगनबाड़ी से सम्बद्ध बहनों महिला समाख्याओं, भोजन माताओं को विशेष बोनस राशि दी जायेगी। सम्बन्धित विभाग इस राशि की व्यवस्था करेंगे।
- केन्द्र सहायतित एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।
- जयानन्द भारती दस्तकार प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की जा रही है।

- ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की दशा में रेशा खरीद हेतु अनुदान के लिये धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- काशीपुर में नेपा लिमिटेड भूमि के हस्तानान्तरण हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- काशीपुर में फूड पार्क की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।
- राज्य में लघु उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट को कानूनी जामा पहनाया जायेगा।
- मुख्यमंत्री व्यावसायिक चालक बीमा योजना प्रारम्भ की जा रही है।
- अल्मोड़ा में आई.एस.बी.टी. के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए चालकों को प्रशिक्षित किये जाने के लिये ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स का निर्माण किया जायेगा।
- सामाजिक सुधार व पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए कार्य करने वालों को प्रतिवर्ष वीरांगना अवन्ती बाई लोधी समाज रत्न पुरस्कार से राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जायेगा।
- स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले उत्तराखण्ड में जन्मे ऐसे महापुरूष जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग से थे, उनकी स्मृति में राज्य के प्रमुख

संस्थानों का नामकरण किया जायेगा और उन संस्थानों में उनकी मूर्ति स्थापित की जायेगी।

- 10 ओल्ड एज वेलनेस पार्क विकसित किये जाएंगे। वृद्ध जनों को डायलेसीस हेतु मुख्यमंत्री कोष से पच्चीस हजार तक वार्षिक अनुदान दिया जायेगा।
- दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में भर्ती व स्वरोजगार, चिकित्सा सुविधा विस्तार हेतु एक माह में दिव्यांग रोजगार नीति एवं कल्याण निधि स्थापित की जायेगी।
- ग्राम सभाओं और व्यक्तियों को वर्षा जल संग्रह के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार एक माह के अन्दर वाटर बोनस नीति घोषित करेगी।
- राज्य सरकार समाज सुधारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री खुशीराम आर्य के नाम को समर्पित 50 खुशी ग्राम व बाखलियों को स्थापित करेगी। इस अभिप्राय से जिलाधिकारियों को भूमि आवंटन के अधिकार दिये जा रहे हैं।
- पूर्णतः केन्द्र पोषित अनुसूचित जाति, जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पैसा केन्द्र सरकार से प्राप्त न होने की स्थिति में राज्य सरकार विशेष अनुग्रह अनुदान देगी।
- नैनीसार की तर्ज पर गैर आबाद गाँव को पुनः बसाने व क्षेत्रीय विकास की धुरी बनाने की योजना प्रारम्भ की जायेगी। ऐसे प्रत्येक गाँवों में खुशी राम सूक्ष्म उद्योग स्थापित किये जायेंगे।

- महर्षि बाल्मिकी व संत रविदास जी के मंदिरों के सुधार व सौन्दर्यीकरण हेतु अंशदायी योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना में आधी राशि ग्राम सभा व विधायक, सांसद के द्वारा दिये जाने पर आधा धन राज्य सरकार देगी।
- बड़े शहरों में बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सहभागिता की एक नयी योजना प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन में समितियों, आर0डब्ल्यू0एस0 व एन0जी0ओ0 को भागीदार बनाया जायेगा।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार एवं राज्य आन्दोलनकारियों का सम्मान राज्य का दायित्व है। आन्दोलनकारी पेंशन व उत्तराधिकारी के पेंशन मानकों आदि के निर्धारण के लिए मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया जायेगा।
- महिला दिव्यांगों को विशेष सहायता स्वरूप पच्चीस हजार, बीस हजार व पन्द्रह हजार एक समय की विशेष सहायता प्रतिवर्ष दी जायेगी।
- सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं चाहें वे आउट सोर्सिंग से कार्यरत हों, को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जायेगा।
- ट्रांस जेंडर्स के प्रशिक्षण का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठायेगी। इस प्रशिक्षण हेतु विशेष महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को नामजद किया जायेगा।
- कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड के भवन निर्माण हेतु वन टाईम सहायता हेतु धनराशि प्रस्तावित की गई है।

- आई.टी. पार्क, देहरादून में एन.टी.एफ.पी. सेन्टर फॉर एक्सीलेंस के निर्माण हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- केन्द्रीय बजट 2016 में चार डेयरी परियोजनाओं के तहत पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई–पशुधन हाट, राष्ट्रीय–देशीय नस्ल जेनोमिक केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में मसाला मिर्च के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान योजना प्रारम्भ की गई है।
- वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- रवाई घाटी में उद्यान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- राज्य के मिशन एप्पल योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- गंगोलीहाट, घनसाली, बागेश्वर, सितारगंज, बाजपुर, भगवानपुर, लक्सर, झबरेड़ा, अल्मोड़ा, खटीमा, कालेश्वर, चम्पावत, श्रीनगर, पिथौरागढ, लोहाघाट, ताड़ीखेत एवं पुरोला में बस अड्डों/ बस डिपों का निर्माण किया जायेगा।

- थारू एवं बोक्सा जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित है।
- राज्य कर्मचारियों हेतु सातवें वेतन आयोग हेतु पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की चकबन्दी सम्बन्धी सुझाव देने के लिए गठित कमेटी की संस्तुति पर विधेयक विधान सभा में लाया जायेगा।
- सीमान्त व पर्वतीय खेती के उन्नयन हेतु एक कार्य योजना बनाने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप गठित किया जायेगा।

परहित बस जिन्ह के मन माहीं।

तिन्ह कहुं जग दुर्लभ कछु नाहीं।।

मान्यवर,

अब, मैं, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक अनुमानों के प्रमुख आकड़ों का उल्लेख करना चाहूँगी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल प्राप्तियॉ ₹ 39912.00 करोड़ अनुमानित है, जिसमें ₹ 32275.87 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹ 7636.13 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ₹ 18131.13 करोड़ है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 6014.46 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ₹ 14910.10 करोड़ में कर राजस्व ₹ 12116.67 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व ₹ 2793.43 करोड़ अनुमानित है।

व्यय :

वर्ष 2016–17 में ऋणों के प्रतिदान पर ₹ 2032.23 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में ₹ 3896.06 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों पर लगभग ₹ 11015.62 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के रूप में लगभग ₹ 736.96 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में ₹ 3528.73 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2016–17 में कुल व्यय ₹ 40422.20 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में ₹ 32250.39 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा ₹ 8171.81 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है। कुल व्यय मे ₹ 15931.60 करोड़ आयोजनागत एवं ₹ 24490.60 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में प्रस्तावित है। कुल राजस्व व्यय में ₹ 10000.02 करोड़ आयोजनागत एवं ₹ 22250.37 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है जबकि कुल पूँजीगत व्यय में ₹ 5931.58 करोड़ आयोजनागत पक्ष में एवं ₹ 2240.23 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में होना अनुमानित है।

समेकित निधि में घाटा :

समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ ₹ 39912.00 करोड़ में कुल व्यय ₹ 40422.20 करोड़ घटाने के पश्चात् वर्ष 2016–17 में ₹ 510.20 करोड़ का घाटा अनुमानित है।

राजकोषीय समेकन सूचक :

वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, बल्कि ₹ 25.48 करोड़ का राजस्व अधिशेष (सरप्लस) सम्भावित है जबकि ₹ 6072.97 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। उक्तानुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2016–17 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए ₹ 500.00 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अन्तिम शेष :

वर्ष 2016–17 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष ₹ 139.15 करोड़ तथा वर्ष की प्राप्तियों एवं व्यय पश्चात् शेष ₹ 153.95 करोड़ धनात्मक रहना अनुमानित है।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के अपने सहयोगियों के प्रति उनके सहयोग तथा परामर्श के लिए आभार प्रकट करती हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है उसके लिए, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय तथा एन.आई.सी. के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके परिश्रम एवं सहयोग से समय से बजट तैयार करना व बजट साहित्य का मुद्रण सम्भव हो सका।

मुझे पतझड़ों की कहॉनियाँ न सुना–सुना के उदास कर,
नये मौसमों का पता बता जो गुजर गया सो गुजर गया।

एक बार फिर,

आओ मिलकर इन्कलाबे ताजा नौ पैदा करें।
दहर पर इस तरह छा जायें कि सब देखा करें।।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट प्रस्तुत करती हूँ।

फाल्गुन 21, शक संवत् 1937
तद्नुसार
11 मार्च, 2016